राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 11] चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या: 3

शुक्रवार,

07 सितम्बर 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

डीजल व पैट्रोल की दरों में वृद्धि से बढ़ी महंगाई पर चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम-राम, साहब। इरादे तो नेक हैं? मैं इस पक्ष से पूछ रहा हूं, इरादे तो नेक हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दीर्घायु हों। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। प्रतिपक्ष के नेता कुछ निवेदन करेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि आज पूरे देश में, प्रदेश में जिस तरीके से डीजल और पैट्रोल की रेट बढ़ी है, उससे महंगाई बढ़ी है। (व्यवधान) कल यूथ कांग्रेस के ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा नियमों और प्रक्रियाओं से चलती है। आपने हमें नियम बता रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-279 में साफ लिखा है, सदन का सबसे महत्वपूर्ण काल प्रश्न काल है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): प्रतिपक्ष के नेता, सदन का सम्मान करो। सदन का सम्मान नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद आपकी सुनूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न काल के बाद आपको अवसर दूंगा। प्रश्न काल के बाद।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): 000

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं से वंचित गांव

17. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं जो चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सभी गांवों में अब कब तक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र भी संचालित हो रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ संचालित हो रहे उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को दूसरे गांवों में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) प्रदेश में कोई गांव चिकित्सा सेवाओं से वंचित नहीं है। जिन गांवों में कोई ऐलोपैथिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है इनमें निकटतम गांवों में संचालित चिकित्सा संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(2) प्रदेश में कोई गांव चिकित्सा सेवाओं से वंचित नहीं है। जिन गांवों में कोई ऐलोपैथिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है, इनमें निकटतम गांवों में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संचालित चिकित्सा संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(3) जी हां। प्रदेश के ऐसे स्थान, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र भी संचालित हो रहे हैं, का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। एक ही स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संचालित हो रहे उप स्वास्थ्य केन्द्रों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य सदन कूप में आकर बोलने लगे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 000

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, इस तरह हल्ला करके सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। मैं सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.16 बजे 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। चालू करें। क्या विचार है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिपक्ष नियमों में आये तो सरकार हर एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नियमों में आये हैं। अध्यक्ष महोदय, आप मौका दें। हम नियमों में आये हैं, हमने स्थगन लगाया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक प्रद्युमन सिंह जी, आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया है, उसके लिये स्थगन प्रस्ताव लगाया है। ऋण माफी के नाम से आपने धोखा किया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों के साथ ऋण माफी पर किये जा रहे छलावे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से गंगनहर के फिरोजपुर फीडर का पानी टेल-हैड तक नहीं पहुंचने के कारण किसानों की फसलें सूखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर उपखण्ड को जिला नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी के मुख्य बाजारों में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने हेतु शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के संबंध में।

(5) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से मुख्य मंत्री द्वारा भाजपा के प्रचार-प्रसार हेतु निकाली जा रही गौरव यात्रा/लाभार्थी शिविरों में हो रहे सरकारी खर्च को पुन: राजकोष में जमा करवाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री विवेक धाकड़, सदस्य की ओर से चम्बल प्रोजेक्ट के तहत माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पानी आपूर्ति का कार्य संवेदक एजेंसी द्वारा अत्यन्त धीमी गति से करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सड़कों की हालत दयनीय होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(8) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की नारायणपुर एवं बानसूर सीएचसी को क्रमोन्नत करने एवं महिला तथा शिशु रोग विशेषज्ञों को नियुक्त करने के संबंध में।

(9) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधान मंत्री फसली बीमा योजना में बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों के साथ की जा रही अनियमितताओं एवं छल-कपट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य श्री विवेक धाकड़, श्री धीरज गुर्जर, श्रीमती शकुन्तला रावत एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के हार्ट-लाइन महामन्दिर से आखलिया चौराहे तक एलिवेटेड फ्लाई-ओवर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में।

(2) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

(3) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील मुख्यालय अराई (अजमेर) में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना करने के संबंध में।

(4) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में विद्युत वितरण निगम का काम देख रही केईडीएल कम्पनी द्वारा लगाये गये स्मार्ट मीटरों की रीडिंग में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

पर्ची

आज दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैः-

(1)	श्री गोतम कुमार	बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।
(2)	श्री खेमाराम	सुजानगढ़/रतनगढ़ क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या के संबंध में।
(3)	श्री तरुण राय कागा	चौहटन विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा नहर परियोजना के तहत पनोरिया वितरिका से जलापूर्ति नहीं होने के संबंध में।
(4)	श्री कैलाश चौधरी	औद्योगिक नगरी बालोतरा को जिला बनाये जाने के संबंध में।

श्री विवेक धाकड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों की ऋण माफी के नाम पर छलावा

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ में ऋण माफी के नाम पर जो धोखा दिया गया है...

श्री अध्यक्ष: मैंने विवेक धाकड़ को बुलाया है। विवेक धाकड़ नये सदस्य हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नियमों से आये हैं। हमने स्थगन लगाया है। किसानों के साथ में आपने धोखा किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप आसन को जवाब दे रहे हो क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): डोटासरा जी, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है। आप व्यवस्था पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

(अध्यक्ष महोदय-द्वारा हाथ के संकेत से अंकित करने के लिये मना किया गया)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नये को बोलने दो। वह भी आपके दल का सदस्य है। (व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने विवेक

धाकड़ को बुलाया है। उनके बाद धीरज गुर्जर बोलेंगे। विवेक धाकड़ बोलिये। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000 ...(व्यवधान)...

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज माफी छलावा नहीं है। राजस्थान के 19 लाख से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 लाख 24 हजार 102 किसानों के खातों में ऋण माफी का पैसा जा चुका है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 हजार 461 करोड़ रुपये का लाभ किसानों को मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, 31 अक्टूबर, 2018 तक जिस किसान का ऋण माफ होना है, उसमें 31 अक्टूबर तक समस्त किसानों को इसका लाभ मिल जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान ब्याज मुक्त फसली ऋण देने में अभी सबसे आगे है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, फसली ऋण देने में राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अग्रणी है। मैं कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि ब्याज मुक्त फसली ऋण की योजना कांग्रेस लेकर आयी थी और यह बहुत अच्छी योजना है।

लेकिन आपने केवल 25 हजार करोड़ रुपये किसानों को बांटें। हम अभी लगभग 70 हजार करोड़ रुपये किसानों को बांट चुके हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, यह रिकार्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वित्त वर्ष में हमारा प्रयास है, हमारी मुख्य मंत्रीजी का प्रयास है कि 80 हजार करोड़ रुपये अपने किसानों को

(श्री अजय सिंह)

बांटे ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): जयपुर में राजस्थान गौरव यात्रा के समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 31 जुलाई, 2018 तक भूमि विकास बैंक से यदि किसी भी प्रकार का कृषि ऋण ओवर ड्यू हो चुका है, पूरी राशि माफ कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार आदिवासी क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): 8 हजार बीघा आदिवासियों की भूमि को जो कि बैंकों के नाम रहन थी, उसको वापस उस किसान के नाम करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कर्ज माफी की घोषणा राजस्थान के बजट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने पहली बार यह घोषणा की है। मैं बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में कई राज्यों ने इस ऋण माफी की घोषणा की है लेकिन यदि इसका सबसे पहले क्रियान्वयन होगा तो वह राजस्थान के अंदर होगा। 31 अक्टूबर तक हम इसका पूरा क्रियान्वयन कर लेंगे। ये लोग किसान की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान का किसान क्यों मर रहा है? आज हिन्दुस्तान का किसान क्यों मरता है? सबसे बड़ी कोई समस्या अगर उसके सामने है तो वह है ब्याज। ब्याज से किसान मरता है। कम ब्याज पर पैसा मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये अपने किसानों को दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): जो योजना यह छोड़कर के गये थे,

केवल 25 हजार करोड़ रुपये बांटे थे, आज हमने 70 हजार करोड़ रुपये हमने बांट दिये हैं और इस सरकार के कार्यकाल में हमारा प्रयास है कि 80 हजार करोड़ रुपये हम अपने किसान को बांटेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्षजी,

जी **आपने चाहा नहीं वर्ना हालात बदल सकते थे,**

आपकी आंखों के आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे,

आप तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह,

दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।

माननीय अध्यक्ष जी, जो दरिया होता है, वह हजारों लाखों किसानों, हजारों लाखों लोगों का जरिया भी बनता है। आपने कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा जब हमने सरकार से चार्ज लिया। जब कोई भी नयी सरकार आती है तो उसका आकलन पहले वाली सरकार के कार्यों से किया जाता है। आप बता दें, कभी भी राजस्थान में, को-आपरेटिव सैक्टर में आपकी कांग्रेस सरकार ने कभी भी ब्याज दर को घटाया है क्या?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): कभी नहीं घटाया। सांगानेर से आने वाले वरिष्ठ सदस्य, बहुत लंबा आपको अनुभव है। माननीय अध्यक्ष जी, आज अगर सबसे कम ब्याज दर है तो वह है होम लोन की। अगर कोई 0.1 परसेंट घटाता है, चौथा स्तंभ ऊपर बैठा है, उसको बड़े-बड़े अक्षरों में छापा जाता है अख़बार में और अगर मान लो एक किश्त में उसको फायदा होता है 134 रुपये महीने का तो इस तरह डेढ़ हजार रुपये फायदा होता है पूरे साल का। मैं आपको बताना चाहूंगा जब हम सरकार में आये थे, भूमि विकास बैंकों में कांग्रेस सरकार के समय साढ़े बारह प्रतिशत या इससे ज्यादा ब्याज दर किसानों से ली जा रही थी और हमारी मुख्य मंत्री जी ने आते ही 5 प्रतिशत उस पर अनुदान दिया और हम उसको साढ़े सात प्रतिशत पर लेकर के आये हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 7 प्रतिशत ब्याज दर कम की जाती है। अभी हम भूमि विकास बैंकों पर किसानों को कृषि कार्य के लिए साढ़े पांच प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के सभी सम्माननीय विधायकों से

(श्री अजय सिंह)

पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थान में ऐसी कोई बैंक है जो हमसे कम दर पर किसानों को ब्याज उपलब्ध कराती है? हम अभी 60 पैसे प्रति सैकड़ा ब्याज दर पर किसानों को कृषि लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। मुझे बड़ा दु:ख होता है कि आपने ...(व्यवधान)... मैं मेरी सरकार के लिए कहना चाहूंगा:

हम तो दीपक हैं, हमारी दुश्मनी तो अंधेरों से है,
यह हवा तो बेवजह हमें परेशान करती है।
मैं तो दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है,
यह हवा तो बेवजह मुझे परेशान करती है,
कह दो हवाओं को अपने आपको आजमा कर दिखाए,
बार-बार दीपक बुझाती है यह हवा,
चार-पांच दीपक जला कर तो दिखाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कह सकता हूं, चौथा स्तंभ यहां पर बैठा है, ऋण माफी के बारे में, को-आपरेटिव विभाग के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा सदन के बाहर भी कराना चाहे तो को-आपरेटिव मंत्री के नाते हम तैयार हैं। कांग्रेस के सदस्य भी आ जाएं, हम भी आ जाएंगे। आप आरोप मत लगाइए। मेरा-तेरा मत करिए।

(माननीय सदस्य श्री नवीन पिलानिया का सदन कूप में आगमन)

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): ऐसा न हो कि मेरी और आपकी रार में हमारे राजस्थान का किसान हार जाए। हमारा राजस्थान हार जाए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा काम करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य एमएसपी की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): आप मेरे को बोलने दें। माननीय

अध्यक्ष जी, अभी जो यह पत्र लहराया है, शायद यह एमएसपी का है। खरीद के संबंध में आमेर के विधायक बात उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पहली बार किसानों की फसलों को खरीदा गया है। हमने साढ़े चार वर्षों में किसानों की 9 फसलों को खरीदा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने राजस्थान में पहली बार राजफैड के माध्यम से, तिलम संघ के माध्यम से 12 हजार 400 करोड़ की फसलें किसानों से खरीदी हैं। यह एक इतिहास है। अगर हम कांग्रेस के पांच वर्षों को देखें तो कांग्रेस सरकार के समय केवल 1121 करोड़ 30 लाख की फसलें ली गयी थीं। हमने बहुत अधिक फसलें खरीदी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिन जगहों पर खरीद के केन्द्र नहीं थे हमने सब जगह खोले हैं। सांचौर से आने वाले विधायक, आपके वहां पर कभी भी कोई फसल नहीं खरीदी गयी। हमने केन्द्र खोला। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हम 12 हजार 400 करोड़ की फ़सलें खरीद चुके हैं। खरीद के अंदर पुन: मूंगफली खरीदेंगे, मूंग खरीदेंगे, उड़द खरीदेंगे, सोयाबीन खरीदेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम 17 हजार करोड़ की फ़सलें ले लेंगे जो कि आज तक देश की आजादी के बाद में कोई भी सरकार किसानों से नहीं खरीद पायी है, इतना हमने खरीदा है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आज यह किसान की बात करते हैं, किसान दुर्घटनाओं की बात करते हैं और बार-बार आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन आपने किसानों की दुर्घटनाओं पर क्या किया है। (व्यवधान) आप क्या प्रस्ताव लेकर आये, आप क्या योजनाएं लेकर आये? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय एक योजना चल रही थी, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। (व्यवधान) मुझे इस बात का दु:ख है कि देश की आजादी के बाद 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने उस 50 हजार के बीमा लाभ को 51 हजार भी नहीं किया। एक हजार भी नहीं बढ़ा सके। (व्यवधान) हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 50 हजार को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। वह किसान जिसने हमसे ऋण लिया है उसकी अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख का बीमा लाभ उसको मिलता है। पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे

(श्री अजय सिंह)

हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में इस तरह की अनूठी बीमा योजना नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा,

निभा नहीं सकें ऐसा वादा हम नहीं करते,
हम बातें हमारी औकात से ज्यादा नहीं करते।
तमन्ना रखते हैं चांद तारों को छूने की,
तमन्ना रखते हैं आसमान छूने की,
पर औरों को गिराने का इरादा नहीं रखते।

आप मिलकर रहिए। किसान के लिए लड़ो मत, किसान के लिए इकट्ठा होकर लड़ें। मैं आपको कहना चाहूंगा कि

अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं,
अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं,
अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत हैं,
अकेले हम पूजा हैं, मिल जाएं तो इबादत हैं।

मिलकर काम करिए। अपने काम को बताइये। जिस सरकार ने अच्छा काम किया है उसको सम्मान दीजिए, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

एक माननीय सदस्य: 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने सदस्यों को सीट पर बैठने के लिए निर्देशित करें।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री अध्यक्ष: अपनी-अपनी सीटों पर जाएं ...(व्यवधान) ताकि मैं विधान सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चला सकूं, मैं विनम्र निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 000

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री अध्यक्ष: विपक्ष सदन को चलाने में मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.30 बजे 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: नमस्कार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कोरम नहीं है, 30 आदमी सत्ता पक्ष के नहीं हैं, दो मंत्री नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भागती हुई सरकार है। यह भागती हुई सरकार है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके भी तो देखो।

गिनती नहीं आती है तो आप सीख लो और पीछे मुड़कर देखो कि आपकी क्या स्थिति है? आपके तीन आदमी हैं और अनर्गल बातें करते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप मुड़कर देख लो, आपके प्रतिपक्ष के तीन आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। यह सरकार लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको गिनती करना नहीं आता तो फिर आप किस पर चर्चा करना चाह रहे हो?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने मत देखो। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि कोरम के लिए कितनी संख्या चाहिए। आपको संख्या का नॉलेज नहीं है। उससे तीन गुणी है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पूछिये कि यह किसलिए है? संसदीय कार्य मंत्री जी, यह हाउस क्या इसलिए है? यह नमूना, यह देखिए आपके मुरझाये हुए चेहरे, जाती हुई सरकार, भागती हुई सरकार, ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी संख्या कितनी है, पता है कि नहीं आपको?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप मुंगेरीलाल के हसीन सपने मत देखो। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आप अपने पीछे देखो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि विधान सभा का समय बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जनता के मुद्दों पर चर्चा करवायी जाए। किसान के मुद्दों पर चर्चा करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सुबह से ही आप व्यवधान कर

रहे हो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सरकार तो हमेशा ही तैयार है, तत्पर है। .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कभी-कभी इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि सदन में शांति रहे। मन, चित्त और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए यह बड़ी लाभदायक चीज है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिसूचनाएं तो पूरी हो गयीं इनकी। यह जाती हुई सरकार, हांफती हुई सरकार, हारती हुई सरकार, इनसे किसानों के मुद्दों पर चर्चा करवाओ। विधान सभा का आज कार्यकाल बढ़वाओ, समय बढ़वाओ। चार-पांच दिन तो विधान सभा चलाओ। बेरोजगारों पर चर्चा करवाओ। किसी मुद्दे पर तो जनता के प्रति जवाबदेह बनो। किसी भी मुद्दे पर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

कार्मिक विभाग

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.7(1) डीओपी/ए-II/2017, दिनांक 21.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 की धारा-3 के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में अति पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण प्रवेश की वार्षिक अनुज्ञात संख्या का एक प्रतिशत किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये अधिसूचनाएं, यह तो सरकारी काम है, अधिकारी निकालते हैं और आप यहां पर पढ़ देते हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम।

राजस्व विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित 68 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.1(58)राज-6/2017/01 दिनांक 2.1.2018, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.1(58)राज-6/2017/02 दिनांक 2.1.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/03 दिनांक 1.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को अधिसूचित किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.1(3)राज-6/2011पार्ट/04 दिनांक 5.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान राईट टू फेयर कंपनशेसन एण्ड ट्रांसपरेंसी इन लैण्ड एक्वीजिशन, रिहैबीलीटेशन एण्ड रिसैटलमेंट रूल्स, 2016 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.6(9)राज-6/96पार्ट-6/05 दिनांक 9.2.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(9)राज-6/96पार्ट/39 दिनांक 8.12.2010 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/6 दिनांक 20.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील रतनगढ़, जिला-चूरू को अधिसूचित किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.11(4)राज-6/14/पार्ट/07 दिनांक 21.2.2018, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/8 दिनांक 6.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.9(25)राज-6/2014/9 दिनांक 7.3.2018, जिसके द्वारा आबादी विकास के लिये भूमि आरक्षित करने की शक्तियाँ उपखण्ड अधिकारी को दी गई हैं;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/10 दिनांक 12.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील बगोरा, जिला जालोर को अधिसूचित किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/11 दिनांक 12.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील समारी, जिला उदयपुर को अधिसूचित किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/12 दिनांक 12.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर को अधिसूचित किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.9(18)राज-6/18/13 दिनांक 15.3.2018, जिसके द्वारा नक्शों के डिजिटाईजेशन करने की शक्तियां कलक्टर को प्रदान की गई हैं;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)राज-6/18/14 दिनांक 22.3.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.5(109)राज-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)राज-6/18/15 दिनांक 22.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आबंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/16 दिनांक 20.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील फतेहपुर, जिला सीकर को अधिसूचित किया गया है;

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/17 दिनांक 26.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील खण्डेला, जिला सीकर को अधिसूचित किया गया है;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/18 दिनांक 26.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर को अधिसूचित किया गया है;

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/19 दिनांक 26.3.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील बसवा, जिला दौसा को अधिसूचित किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.9(45)राज-6/16/20 दिनांक 27.3.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(12)राज-6/99पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में संशोधन किया गया है;

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.9(30)राज-6/2017/21 दिनांक 22.3.2018, जिसके द्वारा तहसील बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा के समस्त ग्रामों में पुन:सर्वेक्षण/तरमीम का कार्य प्रारम्भ किया गया है;

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.9(28)राज-6/2018/22 दिनांक 3.4.2018, जिसके द्वारा काश्तकारों को खातेदारी एवं गैर-खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि पर देय लगान से मुक्त किया गया है;

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/23 दिनांक 4.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील असनावर, जिला झालावाड़ को अधिसूचित किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/24 दिनांक 4.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं को अधिसूचित किया गया है;

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.9(12)राज-6/18/25 दिनांक 6.4.2018, जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वसूली योग्य रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली के लिये कलक्टर की शक्तियां अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रदान की गई है;

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/26 दिनांक 11.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील आमेट, जिला राजसमन्द को अधिसूचित किया गया है;

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/27 दिनांक 11.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील पुष्कर, जिला अजमेर को अधिसूचित किया गया है;

(28) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/28 दिनांक 12.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर को अधिसूचित किया गया है;

(29) अधिसूचना संख्या: एफ.6(1)राज-6/2014पार्ट-1/29 दिनांक 12.4.2018, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2018 में ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसील सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

(30) अधिसूचना संख्या: एफ.6(1)राज-6/14/पार्ट-1/30 दिनांक 12.4.2018, जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को सहायक कलक्टर्स द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने बाबत अधिकृत किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(31) अधिसूचना संख्या: एफ.6(25)राज-6/2015/31 दिनांक 24.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व आबंटन नियम, 1963 के अन्तर्गत राजकीय विभागों को भूमि आबंटन हेतु विहित प्राधिकारियों को भूमि आबंटन के संबंध में प्राधिकृत किया गया है;

(32) अधिसूचना संख्या: एफ.9(15)राज-6/2005/पार्ट/32 दिनांक 24.4.2018, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2018 के दौरान जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदित शक्तियों का प्रयोग उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर करने के संबंध में अधिकृत किया गया है;

(33) अधिसूचना संख्या: एफ.1(43)राज-6/16/33 दिनांक 24.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के परीवीक्षाधीन अधिकारियों को सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित किया किया गया है;

(34) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/34 दिनांक 30.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर को अधिसूचित किया गया है;

(35) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/35 दिनांक 30.4.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर को अधिसूचित किया गया है;

(36) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/36 दिनांक 7.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील हिण्डौन, जिला करौली को अधिसूचित किया गया है;

(37) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/37 दिनांक 7.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील अलवर, जिला अलवर को अधिसूचित किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(38) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/38 दिनांक 10.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील नावां, जिला नागौर को अधिसूचित किया गया है;

(39) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/39 दिनांक 10.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील जैसलमेर, जिला जैसलमेर को अधिसूचित किया गया है;

(40) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/40 दिनांक 10.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ को अधिसूचित किया गया है;

(41) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/41 दिनांक 14.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(42) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/42 दिनांक 16.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू को अधिसूचित किया गया है;

(43) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/43 दिनांक 22.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील राजगढ़, जिला अलवर को अधिसूचित किया गया है;

(44) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/44 दिनांक 23.5.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ को अधिसूचित किया गया है;

(45) अधिसूचना संख्या: एफ.9(8)राज-6/17/45 दिनांक 4.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(46) अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/46 दिनांक 5.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII भूमि के तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा को अधिसूचित किया गया है;

(47) अधिसूचना संख्या: एफ.9(27)राज-6/2015/47 दिनांक 6.6.2018, जिसके द्वारा तहसील-तिजारा, जिला-अलवर में गठित सलाहकार समिति में सदस्य का मनोनयन किया गया है;

(48) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/48 दिनांक 12.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII भूमि के तहसील परबतसर, जिला नागौर को अधिसूचित किया गया है;

(49) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/49 दिनांक 12.6.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII भूमि के तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर को अधिसूचित किया गया है;

(50) अधिसूचना संख्या: एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/50 दिनांक 13.6.2018, जिसके द्वारा लोक अदालत अभियान के दौरान भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग समस्त तहसीलदार द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में किये जाने के संबंध में अधिकृत किया गया है;

(51) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)राज-6/18/51 दिनांक 22.6.2018, जिसके द्वारा ग्रामदानी ग्राम रिदवा, थईयात, आकल एवं भागु का गांव जिला जैसलमेर में स्थित भूमियों के प्रबन्धन से ग्राम सभा को निर्निहित किया गया है;

(52) अधिसूचना संख्या: एफ.1(43)राज-6/16/52 दिनांक 25.6.2018, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.1(43)राज-6/16/33 दिनांक 24.4.2018 में संशोधन किया गया है;

(53) अधिसूचना संख्या: एफ.9(48)राज-6/18/53 दिनांक 9.7.2018, जिसके द्वारा कतिपय क्षेत्रों को लवण उत्पादन हेतु लवण क्षेत्र घोषित किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(54) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/54 दिनांक 10.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा को अधिसूचित किया गया है;

(55) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/2006/पार्ट/55 दिनांक 19.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(56) अधिसूचना संख्या: एफ.6(25)राज-6/2014/56 दिनांक 19.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनाधिवासित सरकारी कृषि भमियों के आबंटन हेतु आबंटन प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है;

(57) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/57 दिनांक 19.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गानोडा, जिला बांसवाड़ा को अधिसूचित किया गया है;

(58) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/58 दिनांक 20.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर को अधिसूचित किया गया है;

(59) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/59 दिनांक 20.7.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सावर, जिला अजमेर को अधिसूचित किया गया है;

(60) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/60 दिनांक 9.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर को अधिसूचित किया गया है;

(61) अधिसूचना संख्या: एफ.11(4)राज-6/14पार्ट/59-ए दिनांक 10.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(62) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/61 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील बारां, जिला बारां को अधिसूचित किया गया है;

(63) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/62 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील नदबई, जिला भरतपुर को अधिसूचित किया गया है;

(64) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/63 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर को अधिसूचित किया गया है;

(65) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/64 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील सीकर, जिला सीकर को अधिसूचित किया गया है;

(66) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/65 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं को अधिसूचित किया गया है;

(67) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/66 दिनांक 14.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर को अधिसूचित किया गया है; एवं

(68) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/67 दिनांक 24.8.2018, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्र में तहसील टाटगढ़, जिला अजमेर को अधिसूचित किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन, जनता के मुद्दों पर तो चर्चा करवाओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें मौका दो, पाँच-सात दिन की विधान सभा बढ़ाओ। आओ भाई, अपना काम करना पड़ेगा, यह तो नहीं मानेंगे। यह तो हारती हुई सरकार, हांफती हुई सरकार, जाती हुई सरकार, हारती हुई सरकार, सब मुद्दों पर फेल है यह सरकार। आप बिना चर्चा कराये बिल पारित करवा रहे हो, इससे यह प्रजातंत्र का अपमान है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री युनुस खान।

प्रतिवेदन एवं लेखे

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा रिपोर्ट

(राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम) (वर्ष 2015-16)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): चर्चा तो आप करना ही नहीं चाहते हो, सुबह से यहां पर वैल में आकर खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिना चर्चा कराये ही बिल पारित करवा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बिना कोई बहस किये हुए बिल पारित करवा रहे हो। कम से कम दस दिन विधान सभा चलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सरकार चर्चा नहीं करवाना चाहती है। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वसुन्धरा राजे गौरव यात्रा में श्रीगंगानगर में निकली हैं। श्रीगंगानगर के लोग-बाग़, किसान आंदोलनरत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर जिले का किसान आंदोलनरत है, वर्तमान सरकार गौरव यात्रा पर निकली है और डीजल और पैट्रोल के दाम इतने उच्च स्तर पर पहुंच गये हैं। यह भागती हुई सरकार है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जाती हुई सरकार है और भाजपा के माननीय सदस्यों के चेहरे मुरझाये हुए हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन एवं नारे)

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2018-19) (प्रथम संकलन) का पारण

मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,97,57,000/- (चवालीस करोड़ सतानवे लाख सतावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12 - अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,31,25,16,000/- (तीन अरब इकतीस करोड़ पच्चीस लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 - बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,13,09,000/- (अठारह करोड़ तेरह लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 16 - पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,43,14,000/- (तिरानवे करोड़ तियालीस लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,49,64,50,000/- (तीन अरब उनचास करोड़ चौंसठ लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24 - शिक्षा कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,72,08,000/- (एक अरब बहत्तर लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,67,81,91,000/- (चार अरब सडसठ करोड़ इक्यासी लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,86,80,55,000/- (दो अरब छियासी करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18000/- (अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,96,02,00,000/- (सोलह अरब छियानवे करोड़ दो लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,88,26,02,000/- (पांच अरब अठासी करोड़ छब्बीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी व्यवधान एवं नारे)

मांग संख्या 36 - सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री उपाध्यक्ष)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,00,00,000/- (पांच अरब) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37 - कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,00,02,000/- (छब्बीस करोड़ दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 - खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 - सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,000/- (सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,43,29,93,000/- (चार अरब तियालीस करोड़ उनतीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,50,00,47,000/- (तीन अरब पचास करोड़ सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य, विधेयक का पुर:स्थापन राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018, श्री राजपाल सिंह।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन आपसे निवेदन करता। आपने पुर:स्थापित कर ही दिया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी, विचारार्थ भी रखें।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड- 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री राजपाल सिंहजी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2018, श्री अरुण चतुर्वेदी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी व्यवधान एवं नारे)

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2018

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी व्यवधान एवं नारे)

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक, राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री राजपाल सिंहजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य का परिनियत संकल्प है, उस पर वोट करवा लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप शांति रखें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी व्यवधान एवं नारे)

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंहजी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्मानित सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज हम दोनों बोलेंगे, आप रोकना मत।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1988 में संशोधन लेकर आयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जिस नाम से इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने आयी, जिस गाय के नाम से, राम मंदिर के नाम से प्रदेश में सरकार बनाने आयी, आज यह सरकार स्टाम्प अधिनियम में संशोधन करके धारा 3 (ख) में पहले से 10 प्रतिशत प्रभार सरकार ने जनता पर डालने का काम किया। सरकार आज फिर गाय के नाम से वापस इस प्रदेश की जनता के साथ सरकार बनाने जा रही थी, किसान के जिस तरह के हालात प्रदेश में हैं, यह सरकार गाय के संरक्षण की बात कर रही है, यह नस्ल सुधार संरक्षण की बात कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि धरातल पर किसान की, आपकी सरकार के कारण, आपके असत्य वचनों के कारण, आपके असत्य वादों के कारण आज गाय के कारण पूरे प्रदेश का किसान असहाय महसूस कर रहा है।

किसान ने अपनी खेती छोड़ दी लेकिन आज जनता को आप जिस नाम से यह कह रहे थे कि हम गाय का संरक्षण करेंगे, जनता से पैसा लूटने का एक और नया तरीका और आखिरकार इस गाय के नाम से आप स्टाम्प पर 10 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत राशि लेकर जनता के इस धन को इकट्ठा कर इसमें भी कहीं न कहीं घोटाला करने की आपकी मानसिकता के साथ आज स्टाम्प अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान आपकी तरफ देख रहा है। सभी 200 माननीय सदस्य बैठे हैं, हर व्यक्ति धरातल पर जाता है, उस गाय के नाम से जो हालत धरातल पर किसान की हो रखी है उसका आप किस तरीके से संरक्षण करेंगे?

आपने गाय का नाम दिया, उसकी नस्ल सुधार का नाम दिया लेकिन उस नंदी का नाम, जो आपने प्रदेश में कहा था, घोषणा की कि जिला हैडक्वार्टर पर हम एक नंदी गौशाला खोलने जा रहे हैं, आज तक आपकी सरकार ने नंदी गौशाला नहीं खोली। लेकिन सरकार अंतिम छोर पर है, आप जाने की तैयारी में हैं और आप लोग इस सरकार का यह भार जनता पर

(श्री मनोज कुमार)

लादना चाह रहे हैं। किसान पहले से अपने आपमें कमजोर है। बरसात नहीं हो रही, गाय और आवारा पशुओं के कारण किसान बर्बाद हो चुका है और उस किसान पर आज नया भार लादकर आप, यह सरकार गलत कर रही है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अगर जनता और किसान का संरक्षण करना चाह रही है तो स्टाम्प अधिनियम में संशोधन कर आप 10 प्रतिशत के बजाय जो 20 प्रतिशत कर रहे हैं, इसको वापस लिया जाए और जनता पर यह नया भार नहीं डाला जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आप इस तरीके से करके जनता पर भार डाल रहे हैं। इसलिए इस सरकार को कहना चाहता हूं कि आप इस स्टाम्प अधिनियम में जो संशोधन लेकर आ रहे हैं, इसकी मूल भावना आपकी उस गाय के प्रति नहीं है, आपकी स्वयं के प्रति ज्यादा चिंता है। अगर गाय के प्रति है तो आप इसमें मूल उद्देश्य है उसका संरक्षण किस तरह से करोगे, इस पैसे से कहां-कहां, किस योजना के माध्यम से गायों का संरक्षण आप किस तरीके से कर रहे हैं? ऐसा आपका कोई उद्देश्य नहीं है लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ जनता पर एक नया भार डालकर इस स्टाम्प अधिनियम में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर रहे हैं, इसको सरकार वापस ले। हम इसका घोर विरोध करते हैं कि जनता से यह धन न वसूला जाए, सरकार स्वयं व्यवस्था करे और एक प्रकार का भार डालकर किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको आप कतई न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जनता पर एक नया भार डाला जा रहा है, इस भार को सरकार न डाले और जो 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने जा रही है, इसको वापस लिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018. श्री घनश्याम तिवाड़ी जी, आप?

श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018. श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 31 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड - 2 से 31 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 31 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, कोई बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

परिनियत संकल्प

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018. घनश्याम तिवाड़ी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के साथ एक बहुत बड़ी और समस्या पैदा होने जा रही है, जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 सरकार ने जारी कर दिया और जयपुर में पेयजल और सीवरेज का सारा काम सरकार इस बोर्ड को देना चाहती है। यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बहुत सी विसंगतियां पैदा करने वाला होगा। क्या एक जयपुर शहर ही ऐसा है जिसमें यह समस्या है? क्या अजमेर में यह समस्या नहीं है, क्या जोधपुर में यह समस्या नहीं है, क्या कोटा में यह समस्या नहीं है? कौनसे बड़े टाउन्स ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार के बोर्ड के गठन करने की आवश्यकता नहीं है और जयपुर में यह क्यों गठन किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह विदित है कि जयपुर इस समय दो बड़ी समस्याओं से ग्रसित है। जयपुर सबसे बड़ी समस्याओं से ग्रसित है पानी की, आज जयपुर में पेयजल सप्लाई का काम पी.एच.ई.डी. कर रहा है, जयपुर में सफाई का काम नगर निगम कर रहा है, कुछ इलाकों में जयपुर विकास प्राधिकरण करता है, कुछ इलाकों में राजस्थान आवासन मण्डल करता है। तो, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम, इन तीनों कामों को भी आज तक सरकार एकजुट होकर इसका कोई निर्णय नहीं करा सकी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में आर्डर नहीं है इसलिए यह जो जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश है, इसका मैं विरोध करता हूं और मैं कहता हूं कि जयपुर के लायक नहीं है, जयपुर और समस्याग्रस्त होगा। जयपुर में पेजजल की समस्या है, बीसलपुर के पानी की कटौती की जा रही है। जयपुर में जो सीवरेज लगाने का भारत सरकार से 1400 करोड़ का पास हुआ था, उसको राजस्थान सरकार ने गारंटी नहीं दी और गारंटी नहीं देने के कारण से विफल हो गया क्योंकि उसका अधिकांश इलाका सांगानेर विधान सभा में था इसलिए राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया, उसकी गारंटी नहीं दी। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो सीवरेज का हमने भारत सरकार से सैंक्शन कराया है, उसको लागू किया जाए ताकि पृथ्वीराज नगर, भांकरोटा से लेकर मदरामपुरा और गोवर्धन नगर तक की सारी जो समस्या है, उसमें सीवरेज डाला जा सके। केवल सरकार ने गारंटी नहीं दी, इस कारण से यह काम हुआ है। बीसलपुर के अलावा जब तक ईसरदा का बांध नहीं बनेगा तब तक जयपुर की पेयजल की समस्या का समाधान भी नहीं होगा।

इसमें मैं बहुत अधिक बात कहना चाहता था लेकिन चूंकि इस समय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदन आर्डर में नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018, इसके कथन और कारणों को अगर हम पढ़ें तो इससे अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि यह क्यों लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में जलप्रदाय और मलवहन प्रबंध से संबंधित कृत्य अनेकानेक अभिकरण जैसे कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं। जलप्रदाय व मलवहन सेवाओं से संबंधित क्रिया-कलापों की योजना, विकास, क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस कारण जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय व मलवहन प्रणाली के प्रबंधन के लिए सर्वांगीण और समेकित पद्धति उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक संस्था का होना आवश्यक है। यह जो मल्टीपल एजेंसी के पास इस जयपुर के अंदर वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम है, इसके कारण से जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन सबके निवारण के लिए एक यूनिफाइड एजेंसी बनाने के लिए यह बिल लेकर आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर देश के उन बड़े शहरों में शामिल हो गया जिनकी आबादी 30 लाख और 30 लाख से अधिक है। 5 शहर हैं, देहली, अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई और हैदराबाद, इनमें अलग से इसी प्रकार के बोर्ड बने हुए हैं। वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बने हुए हैं। 4 शहर बंबई, कलकत्ता, पूना और सूरत इसमें जल सीवरेज का एकीकृत काम यूएलबी के द्वारा किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे सिर्फ कारण यही है आपको याद होगा कि जयपुर में 2-3 साल पहले एक बार पीलिया फैला था, मल्टीपल एजेंसी के पास काम था, पानी पिलाने का काम पीएचईडी कर रही थी, सीवरेज का काम नगर निगम के पास था, कहीं सीवरेज का काम हाउसिंग बोर्ड के पास था, इसके कारण से कंट्रोल नहीं होने के कारण से, इस प्रकार की जब बीमारियां फैलती हैं तो उन पर कंट्रोल ठीक से नहीं हो सका। इसी कारण से इस बिल को लेकर आये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान का जो 74वां संशोधन हुआ था, उस संशोधन में पेयजल और सीवरेज का काम स्थानीय निकायों को दिया गया था। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, यह जो एशियन डवलपमेंट बैंक है, इससे राज्य सरकार ने 2015 में 1660 करोड़ रुपये 2 किश्तों में लेने के लिए एमओयू किया था। एशियन डवलपमेंट बैंक ने 11 पालिसी रिफार्म्स के लिए कहा। उनकी यह शर्त थी कि 11 पालिसी रिफार्म्स करें, तब हमें जो सॉफ्ट लोन दे रहे हैं वह पूरा देंगे। उस रिफार्म्स में यह भी था कि जो बड़े शहर हैं, जिनकी सर्वाधिक आबादी है, उनके अंदर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बनना जरूरी है। इसके कारण यह जो 830 करोड़ की बकाया है, माननीय सदस्य कह रहे थे कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, यह जो सैकण्ड किश्त है 830 करोड़ की, उसको लेने के लिए एडीबी बैंक ने हमें 11 रिफार्म्स बनाने के लिए कहा था, उसमें भी यह शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बोर्ड उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से राज्य सरकार काम करती है। यानी यह पूर्णतया राज्य सरकार के नियंत्रण वाला बोर्ड होगा। इस बोर्ड के बनने से जयपुर के लोगों को स्वच्छ, प्रचुर पानी मिले, यह उद्देश्य है। वहीं वाटर कंजर्वेशन भी हो, वाटर रिचार्ज हो, वाटर रिसाइकिल हो, सभी उपभोक्ताओं को समय पर अच्छा पानी मिले और सीवरेज के लिए आधारभूत संरचनाएं पुन: बनें।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, आज आप जानते हो कि जयपुर का आकार कितना बढ़ गया है। लगातार गांव शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गांव सिकुड़ते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। शहरों की आधारभूत संरचनाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इन सबके कारण से यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता होगी कि मल्टीपल एजेंसी के पास जो काम हैं, वह यूनिफाइड एक एजेंसी के पास काम हो, इसलिए जयपुर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बिल 2018 सरकार लेकर के आयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही तो बात कह रहा था कि जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड, इन तीनों का भी एकीकार नहीं हो सका और अब एक चौथी एजेंसी आप कायम कर दोगे। पेयजल सप्लाई तो करेगी बीसलपुर से पीएचईडी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं क्षमा चाहूंगा। इस बोर्ड के बनने के बाद जयपुर शहर के अंदर पेयजल सप्लाई से लेकर, सीवरेज और ड्रेनेज का काम यह बोर्ड करेगा। यूनिफाइड बोर्ड बन जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बीसलपुर से अजमेर को पानी मिलता है। बीसलपुर से किशनगढ़ को पानी मिलता है। बीसलपुर से ब्यावर को पानी मिलता है। बीसलपुर का जो डैम है, वह पीएचईडी का डैम है। पीएचईडी और इनके बीच में विवाद होगा, वह कौन निपटाएगा? नंबर एक।

दूसरा यह है कि जिस प्रकार से नगर निगम है, नगर निगम सारा सीवरेज का काम करता है। सफाई का काम करता है। सारे कर्मचारी नगर निगम के हैं। इसी प्रकार से जयपुर विकास प्राधिकरण है। जयपुर विकास प्राधिकरण अलग से काम करता है। हाउसिंग बोर्ड का अलग इलाका है। हाउसिंग बोर्ड अलग से काम करता है। इन तीनों में भी अभी तक कोई तालमेल नहीं है और आप एक चौथी इकाई खड़ी कर दोगे तो इन तीनों के अधिकारों की जो लड़ाई होगी, उसका क्या होगा? इनके कर्मचारियों का क्या होगा? सफाई कर्मचारियों का क्या होगा? जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का क्या होगा? पीएचईडी के कर्मचारी जो जयपुर में काम करते हैं, उनका काम क्या होगा? इनके लिए आपने 292 करोड़ रुपये और 30 करोड़ की व्यवस्था की है। 292 और 30 करोड़ रुपये में इसका काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जब तक इसका समेकित विकास नहीं होगा, यह कौनसी एजेंसी से लोन लेगा और कहां से इसके पास पैसे आएंगे? इसकी काम करने की मशीनरी क्या होगी? यह कहीं परिभाषित नहीं है। यह जयपुर की सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देगा।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रकार कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो 1400 करोड़ रुपये दिये थे सीवरेज लाइन के लिए, उसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार को लिखा कि आप इसकी गारंटी दे दो। राजस्थान सरकार ने जब जयपुर विकास प्राधिकरण को ही गारंटी देने से इंकार कर दिया और वह जयपुर की 1400 करोड़ रुपये की स्कीम वापिस चली गयी, तो इसको कौन गारंटी देगा? इसके पास कौनसी संपत्ति है? जयपुर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विकास प्राधिकरण के पास तो संपत्तियां थीं। जयपुर के सम्पूर्ण ढांचे को तहस -नहस करने का यह बोर्ड है। इसके पहले भी राजस्थान में जल बोर्ड बना हुआ था। उन जल बोर्डों को खंडित किया गया। उनको डिपार्टमेंट में बदला गया। अब यह कौनसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? फिर यह जयपुर के साथ ही क्यों करना चाहते हो? आप यह जोधपुर से क्यों नहीं करना चाहते? फिर कोटा के साथ क्यों नहीं करना चाहते? फिर अजमेर के साथ क्यों नहीं करना चाहते? जयपुर में कौनसा कारण है कि आप इसको बना रहे हो? इसके पीछे रहस्य क्या है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, इन्हीं की भावना के अनुसार, क्योंकि आप खुद यह मान रहे हैं कि मल्टीपल एजेंसीज जयपुर के अंदर पेयजल सप्लाई के लिए और उसके साथ-साथ सीवरेज और ड्रेनेज के लिए काम कर रही हैं। इनमें कार्डिनेशन नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर, जिस तरह से मैंने उद्देश्य और कारणों के कथन को पढ़ते हुए बताया कि एक समेकित एजेंसी का आना बहुत जरूरी है। माननीय सदस्य ने कहा कि इसका वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा? उसके पास पैसा कहां से आएगा?

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा विधेयक है, इसके सैक्शन 17 के अंदर यह सारा प्रावधान किया गया है। इस बोर्ड को सरकार समय-समय पर अनुदान देगी। इसको अनुदान उसी प्रकार मिलेगा। चूंकि पेयजल सप्लाई का काम भी इसी के पास आ जाएगा। जिस तरह से पीएचईडी को आज सरकार अनुदान दे रही है, इसी रूप में सरकार इसको अनुदान देगी। जल और सीवरेज का जो रेवेन्यू आएगा, वह इस बोर्ड में जमा हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पीएचईडी को अनुदान नहीं है। पीएचईडी को डिमांड पर हम पैसा देते हैं। पीएचईडी में अनुदान नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पहली बैठक जब होगी, इसके सैक्शन 3 के अंदर, यह 15 सदस्यीय बोर्ड होगा जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसकी पहली बैठक में इसके बजटीय प्रावधान के लिए जो प्रस्ताव लिए जाएंगे, सरकारी उसी के अनुरूप इसको वित्तीय अनुदान देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इनके कर्मचारियों का क्या होगा? जो कर्मचारी आज जयपुर नगर निगम में हैं, जो पीएचईडी में हैं, उनको 5 साल के लिए इसमें प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। 5 साल के बाद उनके पास यह विकल्प रहेगा कि वह पुन: अपने मूल विभाग में जाना चाहें तो जा सकते हैं। इनकी वरिष्ठता यथावत रहेगी। जो सरकारी विभाग में काम करने पर रहती हैं, वही सेवा शर्तें रहेंगी। सभी बैनेफिट रहेंगे। सभी प्रमोशन रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक राजस्थान सर्विस रूल्स एंड फाइनेन्स डिपार्टमेंट का सर्कूलर है, पी 13 (1) फाइनेन्स/रुल्स/2003 दिनांक 7.09.2006, इसको अलग-अलग समय में अमेंडमेंट जरूर किया गया है, इसके अंदर सैलेरी का, प्रमोशन का, पेंशन का, रिटायरमेंट बैनेफिट्स का, सबको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस सर्कूलर के तहत ही जो प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, उनकी सेवा शर्तें यथावत रहेंगी। 5 साल के बाद विकल्प खुला है। वह पुन: लौटना चाहें तो लौट सकते हैं। पूर्णतया वित्तीय स्वायत्तता के साथ इसको सिंगल एक ऐसी यूनिट बनाया जा रहा है, ताकि मल्टीपल एजेंसी के कारण से जो कठिनाइयां आ रही हैं, वह कठिनाइयां दूर हों।

जयपुर लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर की आबादी 30 लाख से ज्यादा हो गयी है। एडीबी बैंक से जो रिफार्म्स की बात हुई थी, उसके अंदर भी एक यह रिफार्म्स था। जयपुर के अलावा जो अन्य 9 शहर हैं, उन सबके अंदर यूनिफाइड एजेंसी इस पूरे काम को कर रही है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 2018 को प्रख्यापित जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-4) को अस्वीकार किया जाए? व्यवधान

मैं एक बार पुन: (....व्यवधान) प्रश्न यह है कि श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 2018 को प्रख्यापित जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-4) को अस्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 103 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 103 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 103 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्मानित सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मूल विधेयक और इस मूल विधेयक में 100 से अधिक धाराएं, इतना बड़ा विधेयक और जिसके ऊपर सारी बातें होने वाली हैं उस विधेयक को डिसआर्डर हाउस में इस प्रकार पारित कराना, यह जयपुर का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दुर्भाग्य ही होगा। इससे जो समस्याएं पैदा होंगी वह हमारे लिए, यह सदन विधान बनाने के लिए है, 'विधान सभा' इसका नाम है और विधान को हम इस प्रकार से पारित करेंगे, इतने बड़े-बड़े विधानों को तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में इस समय पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था । बीसलपुर का बांध बनने के बाद 16 वर्ष में केवल चार बार भरा है और इस पर यह कहा कि ब्राहमणी नदी को इसमें जोड़ देते तो जितना पानी इस समय गया है यह कम से कम 13 या 14 बार भरता। आज पानी की यह स्थिति हो गयी है कि माननीय मंत्रीजी ने कल मीटिंग बुलाई, वह कह रहे हैं कि जयपुर में एक दिन छोड़कर एक दिन या जयपुर में पानी की कटौती की जाएगी। आज समस्या यह है कि जयपुर में रामगढ़ का बांध बिलकुल सूख चुका है, जयपुर के आस पास के इलाकों में ट्यूबवैलों में पानी बिलकुल नहीं है, ट्यूबवैल सूख चुके हैं और जयपुर के आस पास के इलाकों में भी पानी नहीं है। जयपुर राजधानी आज पेयजल के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार यह बोर्ड बनाये लेकिन बोर्ड बनाने से पहले यह तो स्पष्ट करे कि आप जयपुर में पानी कहां से उपलब्ध कराएंगे? जयपुर के अंदर इस समय 2500 कालोनियां हैं, केवल 70 प्रतिशत जयपुर में पेयजल की सप्लाई है, 30 प्रतिशत जयपुर में पीएचईडी द्वारा पेयजल की सप्लाई नहीं है। 40 प्रतिशत जयपुर में सीवरेज की लाइन नहीं डली हुई है, इन सारी बातों के लिए इसमें कौनसा विधान है और आप कैसा करना चाहते हो, जब तक इस बात को स्पष्ट आप नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ी समस्या डाल देंगे जयपुर में। मैं आपसे पुन: प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि जयपुर में 40 प्रतिशत ऐसी आबादी है जिसके पास सीवरेज का सिस्टम आज पास नहीं है, इन्हीं सारी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड में इन सारी समस्याओं का चिंतन भी होगा। चूंकि इसमें विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा और जहां तक आपने जयपुर के अंदर गिरते हुए जल स्तर और पानी की कमी की चिंता की है, यह सिर्फ जयपुर की बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं है, पूरे राजस्थान और पूरे विश्व की बात, पूरे देश की बात है। इसीलिए मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन अभियान चलाया है ताकि लोग इस पानी के प्रति चैतन्य हों और मैं समझता हूं कि इस बोर्ड का मुख्य काम जल स्रोत से पानी को, पेयजल को शुद्ध पानी को सप्लाई करने का है। इसलिए स्रोत की जो बात है, स्रोत में अगर पानी कम पड़ेगा उसके लिए अलग से समग्र विचार किया जाएगा और इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई और सीवरेज, दोनों सिस्टम को एकीकृत रूप से एडमिनिस्ट्रेट करने का है, इसलिए यह तो एक बड़ा अच्छा रिफोर्म है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए आपको। यह बोर्ड आटोनोमस होगा, यह बोर्ड अपने आप स्व वित्त पोषित हो सकता है, एजेंसियों से पैसा ले सकता है, एक्सपर्ट को बुला सकता है, एक्सपर्ट के साथ अध्ययन कर सकता है, डीपीआर बना सकता है, इसलिए बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आए हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई सम्मानित सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 पारित किया गया।

परिनियत संकल्प

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018.

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण अध्यादेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यादेश की ओर।

मैं समझता हूं कि, मैंने इतने वर्षों तक इस इस प्रकार का अध्यादेश नहीं देखा। माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य भी अगर सुनेंगे और आप भी इसको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस प्रकार का अधिकार आज तक सदन ने किसी को नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सैक्शन 2, राजस्थान अधिनियम संख्या 2 की धारा 5 का संशोधन जो किया गया है उसमें '(ककक)' तीसरी धारा जोड़ी गयी है। इस धारा में कहा गया है, 'लोकायुक्त, उसकी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और अपना पद ग्रहण न कर ले।'

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा अधिकार आज तक किसी को नहीं दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर आपने 8 वर्ष कर दिया। 8 वर्ष समाप्त होने के बाद भी सरकार अगर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करती है तो वह लोकायुक्त आजन्म बना रहेगा। उसके हटने का कोई कारण नहीं है। उसके लिए कहा कि जब तक नया लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर दिया जाएगा, वह नियुक्त होगा और अपना पद भार ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक वह लोकायुक्त के पद पर बना रहेगा, इस प्रकार का अधिकार देना, मैं समझता हूं कि किसी भी विधान में, नियमों में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसीलिए मैंने इस अध्यादेश को करने के लिए रखा। अच्छा तो यह होता कि हम लोकायुक्त को जो राजस्थान में एक दंत विहीन, नख विहीन संस्था है और जो सरकार पर केवल एक बोझ है, आज तक 20 वर्ष में मैंने तो किसी भी सरकार द्वारा लोकायुक्त की रिपोर्ट पर, एटीआर की कार्यवाही की हुई नहीं सुनी। लोकायुक्त का अर्थ है कि वहां पर जाओ और डाकखाने में एक डाक डालकर आ जाओ। अगर संशोधन करना था तो मध्य प्रदेश की तरह का कानून लाते। अगर संशोधन करना था तो कर्नाटक जैसा कानून लाते। आप तो उत्तर प्रदेश में, केवल एक प्रदेश में 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष किए हैं, उस तरह का कानून बनाना चाहते हैं ताकि मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के लोग, 5 वर्ष में जो काले कारनामे करके जाएं, उसके बाद 3 साल में वह लोकायुक्त उनके सारे काले कारनामों को साफ कर दे और वह तब तक पद पर बना रहे जब तक कि वह सारे काले कारनामों को समाप्त नहीं कर दे, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है इसलिए मैं इस अध्यादेश का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विद्वान साथी ने बहुत अच्छे तर्क दिये हैं। मैं सोचता हूं कि उनके तर्कों को अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखते तो शायद उनको बहुत कुछ समझ में आ जाए।

आपने जो बात की है कि हमने अनलिमिटेड समय दिया, यह अनलिमिटेड समय मध्य प्रदेश के कानून में भी है। 6 वर्ष उनकी अवधि है और उस अवधि के बाद भी एक क्लाज यह जोड़ा हुआ है कि जब तक नया पद ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वह काम करता रहेगा। आप मध्य प्रदेश का जो उदाहरण दे रहे हैं, उसमें यह है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देगा मध्य प्रदेश, हम नहीं देना चाहते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह आपने चुनौती नहीं दी, उत्तर प्रदेश के कानून में यह प्रावधान था, मैं अभी आपको पढ़कर बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया। जब आपने एक विषय उठाया तो दूसरे विषय को भी ध्यान में लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की पदावधि को समय-समय पर जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ी, कम और ज्यादा किया गया। राजस्थान में भी जब 1973 में पहली बार लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कानून बनाया गया था, तब उसकी कार्यावधि 5 वर्ष रखी थी। 1978 में हमने इसमें अमेंडमेंट करके इसे 5 से 3 वर्ष किया और उसके बाद 1987 में हमने वापस इसी कानून को संशोधित करके राजस्थान में 3 से वापस 5 साल किया है। समय-समय पर इसमें परिवर्तन करते रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश का यह जो लोकायुक्त का कानून है, इसमें उन्होंने 2012 में इस लोकायुक्त की कार्यावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया। इसे 2012 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। वह चुनौती दी थी एक व्यक्ति ने जिसका नाम है सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार।

उपाध्यक्ष महोदय, 24-03-2014 को सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला हुआ, उसका मैं रैफरेंस पढ़ रहा हूं। यह जो रिकार्ड और अग्रिम सामग्री प्रस्तुत हुई है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु सक्षम विधायिका द्वारा वर्तमान या भावी लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदावधि 8 वर्ष किये जाने के आशय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से संशोधन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का यह समाधान है कि लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदावधि 6 वर्ष से 8 वर्ष तक बढ़ाये जाने का मामला एक विधायी नीति है तथा इसे ऐसे संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। यह संशोधन वर्तमान लोकायुक्त के रक्षण के लिए किया गया है, किसी का संरक्षण करने के लिए किया गया है, ऐसा नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह जुड़ा हुआ नहीं है। कानून बनाने का अधिकार तो आपको है ही। 8 को 20 वर्ष कर दें तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आप 50 वर्ष कर दें, लेकिन क्यों कर दें, कारण क्या है करने का?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कारण बता रहा हूं। अभी आप विराज जाएं। अभी आप धैर्य से बैठ जाएं। चिंता न करें इतनी आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पापों को ढकने का जो काम हुआ है, उसकी चिंता कर रहा हूं। जिन पापों पर पर्दा डालने का काम हुआ है, उनकी चिंता कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। आप मंत्रीजी का सम्पूर्ण वक्तव्य एक बार सुन लें, उसके बाद, in case if you have something, I will give you a chance.

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, समय-समय पर अलग-अलग स्थानों पर लोकायुक्त की अवधि का अंतर करते गये। मैंने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया। वहां पहले 6 वर्ष नहीं था, फिर उन्होंने 6 वर्ष का अमेंडमेंट किया तो उसमें (क क क) जो आप बता रहे हैं, वह उन्होंने उस समय जोड़ा था। जब तक नया व्यक्ति पद ग्रहण न करे, यह मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जिसे दी गयी थी, उसमें भी यही का यही है। उन्होंने भी इसमें कहा कि जब तक नये लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। ऐसा क्यों किया, इसे मैं समझाना चाह रहा हूं।

मैं सोचता हूं कि इस लोकायुक्त ने जितना काम किया है, आपने कभी इस पर दृष्टि नहीं डाली होगी कि वास्तव में इसके आने के बाद किस प्रकार से कैसे निपटे और स्तर से कैसे निपटे हैं, उसकी उपयोगिता को समझते हुए इस अवधि को बढ़ाया गया है। अब इसमें सारे के सारे, लोकायुक्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में जो कवर किये हैं, राज्य के समस्त मंत्री, समस्त सचिव, प्रमुख सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त लोक सेवक इसमें हैं। जिला परिषद के प्रमुख, उप-प्रमुख हैं। पंचायत समिति, स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। ग्राम सेवक और सचिव इसमें हैं। नगर-निगम के महापौर, उप-महापौर इसमें हैं। स्थानीय प्राधिकरणों के नगर पार्षदों, नगर परिषदों के, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष इसमें हैं। राजकीय कंपनियों और निगमों के सारे लोग इसमें कवर होते हैं।

मैं सोचता हूं यह शायद पहली बार है कि हमने अधिकांश लोगों को कवर किया है और अभी जो बचे हुए हैं, उनके लिए भी प्रस्ताव मूव किया हुआ है कि वे लोग भी इसमें आएं, लेकिन अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है। अब आप यह जो कह रहे हैं कि काम क्या किया है, मैं आपको बताता हूं कि लोकायुक्त के आने के बाद क्या काम किया है।

दर्ज प्रकरण- इसमें लोक सेवक के विरुद्ध कुल 23 हजार 982 प्रकरण आये थे लोकायुक्त के पास। उनमें से 23 हजार 754 का निस्तारण हुआ है। केवल 200 के करीब बाकी हैं। बाकी जितनी कंप्लेंट इनके पास आयी हैं, उनका निस्तारण हुआ है। आपने देखा होगा कि माथुर आयोग, जिस माथुर आयोग के लिए आपने एक मैम्बर की तरह से कहा कि आयोग बने। इसमें सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती हुई और उसके बाद लोकायुक्त को माथुर आयोग को दिया। उस माथुर आयोग ने इस लोकायुक्त के बारे में जो अपना निर्णय किया और जो काम किया है, उसमें 70 प्रतिशत काम हो चुका, लेकिन फिर भी जो पैंडिंग है, उसके लिए भी उसकी अवधि बढ़ाना आवश्यक था माथुर आयोग के लिए। माथुर आयोग के सामने कुल 1810 प्रकरण प्राप्त हुए थे। उसमें से 1782 प्रकरणों का इन्होंने निस्तारण किया है। बाकी शेष हैं।

स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरण- लोकायुक्त ने स्वप्रेरणा से भी मुकदमे दर्ज किये हैं और 158 मुकदमे इसमे दर्ज हुए हैं।

प्रारंभिक जांच- 221 मामलों में प्राथमिक जांच करके दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

इसी के साथ में अन्वेषण- इसमें 445 मामलों में विस्तृत जांच। अन्वेषण के उपरांत दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। इसके अलावा जो लोगों को अनुतोष दिया है, जो मदद की है, 2315 प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें वांछित अनुतोष प्रदान कराया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जाकर शिकायतों का निस्तारण किया है। मैं जानता था कि आप इसमें क्या-क्या रखने की कोशिश करेंगे और यह कहेंगे कि यह कुछ काम कर ही नहीं रहा है। यह काम कर रहा है। जो आप चाहते हैं न, विभागीय कार्यवाही में जांच अन्वेषण के अलावा भी 1249 प्रकरणों में दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतिरिक्त कार्य- इसके अलावा भी कई कार्य किये हैं। आमजन से प्राप्त होने वाले परिवादों को नियमित जांच कार्य के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह जो माथुर आयोग का था, प्राप्त प्रकरणों की जांच का कार्य किया गया तथा माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से खान आबंटन प्रक्रिया में भी की गयी अनियमितता का जांच कार्य किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त संस्था के इतिहास में नियमित कार्य के अलावा यह अतिरिक्त विशेष जांच का कार्य करते हैं।

मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जांच में क्या किया। यह जो आपका माथुर आयोग है, इसमें भू-आबंटन के 38 प्रकरणों में अनियमितता पायी गयी, जिसमें से 16 मामलों के निस्तारण की कार्यवाही की गयी है। 28 प्रकरण अतिक्रमण, अवैध आबंटन में पाये गये और नियमानुसार कार्यवाही की गयी। 20 करोड़ 37 लाख रुपए की राजस्व वसूली की गयी है। 27 मामलों में पुलिस और सक्षम न्यायालयों को कार्यवाही दी गई है। 25 लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। खान विभाग की जांच, आप यह जो कह रहे हैं न कि कुछ किया कि नहीं किया, इसमें 870 फाइलों पर कार्यवाही की गई है।

(15.00 बजे)

870 फाइलें, जो आबंटन की बात उठी थी और जिस विषय को जांच के लिए दिया था। 24 जिलों में जांच कर 52 लोकसेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है जिसमें निदेशक स्तर के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हैं। शेष 4 जिले जिनमें आमेट (राजसमन्द), चित्तौड़, इन जिलों की कार्यवाही अभी पैण्डिंग है, बाकी सारे के सारे जो खान आबंटन के केस थे उनका निस्तारण किया है।

विशेष कार्य, मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता था कि आप क्या करने वाले हो और क्या कहने वाले हो। मैं आपकी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भावना बहुत पहले से ही समझ चुका था कि आप वार कहां करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। मेरी भावना अगर समझते तो आप वहां पर होते ही नहीं। मेरी भावना अगर समझते तो वहां पर नहीं होते आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह जो प्रकरण हैं न, आज भी जो माथुर आयोग के दिये हुए केस हैं, वे पैण्डिंग हैं। आज भी खान से सम्बन्धित 4 जिलों के केसेज पैण्डिंग हैं, बाकी और भी काम पैण्डिंग हैं उस कारण से उनकी जो समय अवधि बढ़ाई है, विधि के अनुसार बढ़ाई है, नियम के अनुसार बढ़ाई है और राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया उस समय हाउस नहीं था उसके कारण से अवधि बढ़ाई है। इस व्यक्ति ने जिस प्रकार का इस लोकायुक्त में काम करके एक मिसाल कायम की है और मैं सोचता हूं कि देश के बाकी लोकायुक्त के कामों से इसकी तुलना की जाए। यद्यपि इस व्यक्ति का मनोनयन पिछली सरकार के समय मार्च, 2013 में हुआ था लेकिन हमने इस आदमी के काम को देखते हुए और इस प्रकार के सारे कार्यों का निस्तारण करने के लिए इस व्यक्ति की कार्य अवधि को बढ़ाया है ताकि वास्तव में राजस्थान के उन सारे के सारे लोग जो इसके परव्यू में आते हैं उनके खिलाफ जांच होकर उनके खिलाफ एक्शन हो। इस व्यक्ति ने एक्शन किया है, सरकार ने भी किया है, हमने भी किया है और विभाग ने भी किया है।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं व्यक्ति की योग्यता पर चर्चा बिलकुल नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो पिछली सरकार ने की थी और मैं उस समय उप नेता था। नेता का इस्तीफा हो रखा था इसलिए उप नेता के नाते उस मीटिंग में मैं भी गया था और इनकी नियुक्ति पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, काम भी बहुत किया है लेकिन इनकी रिपोर्ट को सरकार दबाकर कुंडली मारकर बैठी है, एटीआर नहीं किया, यह सबसे बड़ी बात है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हो, कानून लाना था तो मध्य प्रदेश मुख्य मंत्री पर कार्यवाही करता है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मध्य प्रदेश, कर्नाटक में मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री और सारे मंत्रियों पर कार्यवाही करने का अधिकार है। उनकी अलग से विशेष पुलिस है, अलग से छापा मार सकते हैं, अगर से बरामदगी कर सकते हैं, केस का चालान कर सकते हैं, ये सारे अधिकार उनको प्राप्त हैं। इनकी पांच वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष की अवधि की है उसके लिए बात मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं कि यह लोकायुक्त का कानून लचर है। इस लोकायुक्त के खिलाफ बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। उस आन्दोलन में अन्ना हजारे भी बैठे, उस आन्दोलन में हम सबने भी भागीदारी की थी और हमने कानून को मजबूत करने की बात की थी। आप माथुर आयोग की बात कर रहे हो तो माथुर आयोग का वहां पर खड़े होकर मैंने भी विरोध किया था और आपने भी विरोध किया था। ध्यान है न? माथुर आयोग अशोक गहलोत साहब ने मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ बनाया था और मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ जो आयोग था, उन्होंने गलत ढंग से बनाया इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी शिकायतें उनके पास भेजीं और उन शिकायतों पर जो रिपोर्ट आयी है उस रिपोर्ट को सरकार दबाकर बैठी हुई है, उन रिपोर्ट पर सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, यह मेरा कहने का है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकायुक्त ने जो रिपोर्ट दी है उसकी एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें, केवल मौखिक बात कहने से नहीं होगा। उन कामों की भी जांच करें जो उनको शिकायतें मिलीं जिनका अधिकार उनको नहीं है। हमने 13 नम्बर के बंगले की उनको शिकायत की कि 4 करोड़ रुपया इस पर क्यों खर्च हुआ है? इसकी जांच करने का अधिकार लोकायुक्त को नहीं है, पर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को अधिकार है इसलिए यह जो सारा अपव्यय हो रहा है इस अपव्यय को जांचने का सारा अधिकार इन लोकायुक्त के पास आये तब तो लोकायुक्त की संस्था दन्तवान हो जाएगी। आज तो लोकायुक्त की संस्था केवल रिपोर्ट देने लायक है, दन्त विहीन है, नखविहीन है। आदमी अच्छा होते हुए भी अगर आदमी के दांत काम नहीं करे, आंख काम नहीं करे, उसके नाखून काम नहीं करे तो आदमी पूरा काम नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं तो मेरी भावना को और समझें और समझकर उसके अनुसार काम करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): धन्यवाद इस बात का कि जो अवधि बढ़ाई है उसके बारे में तो आप सहमत हो गये। अभी आपने अपने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

शब्दों में कहा था कि इसको पांच से आठ किया, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लगातार जो उनका पद समाप्त होने पर, (ककक), उस पर मैं विरोध में हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी कल जो आपने बात की थी और अभी भी आपने एक्शन टेकन के बारे में कहा। जब कभी भी लोकायुक्त की रिपोर्ट यहां पेश हुई उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट उसके साथ लगी हुई है। कल जो आपने विषय उठाया, वह लोकायुक्त की एक्शन टेकन का सवाल नहीं था। वह तो आरपीएससी का था और उसके ऊपर आपका जो कल का भाषण है यह मैं लेकर आया हूं, मैं जानता था....

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह मैं गलत समझा। मैं लोकायुक्त समझा, वह मेरा गलत है और मैं उसे वापस लेता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो आपकी वर्डिंग थी इस विधान सभा में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गलत है। मैं उनको वापस लेता हूं, लोकायुक्त की रिपोर्ट समझकर मैंने किया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की समझकर मैंने नहीं किया था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। लोकायुक्त रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के तहत अन्वेषण के पश्चात् यदि कोई लोकसेवक पूर्णत: या आंशिक दोषी पाये जाते हैं तब उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत समस्त दस्तावेजों के साथ अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश सम्बन्धी प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर प्रतिवेदन को प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर लोकायुक्त को प्रतिवेदन के आधार पर की गयी या की जाने वाली कार्यवाही की सूचना देनी पड़ेगी। सक्षम अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट से यदि लोकायुक्त संतुष्ट हो जाते हैं तो वे उक्त लोकसेवक के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को समाप्त कर सकते हैं जिसकी सूचना सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम अधिकारी को दी जाती है परन्तु, यदि सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की गयी कार्यवाही से लोकायुक्त संतुष्ट नहीं होते हैं तब ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत विशेष प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवाते हैं जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत लोकायुक्त के इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्य सम्पादन के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल महोदय को उक्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ माननीय विधान सभा के पटल पर रखी जाती है, रखी है। अब तक जो रिपोर्ट है, उसके साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट लगी हुई है। अब पढ़ें नहीं तो उसका इलाज तो मैं क्या करूं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-1) को अस्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3-कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गए।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधेयक का पारण

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्मानीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की जनता एक मजबूत लोकपाल चाह रही थी और इसको लेकर पूरे देश के अन्दर भी आंदोलन हुए। दिल्ली की सरकार को झुकना पड़ा और मजबूत लोकायुक्त को लेकर दिल्ली के अन्दर आप पार्टी की सरकार बनी थी। भ्रष्टाचार से पूरा देश दुःखी है, पूरा प्रदेश दुःखी है और 70 साल की व्यवस्था से भी पूरा प्रदेश दुःखी है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मुख्य मंत्री से लेकर आम आदमी कानून की नजर में एक है। लेकिन, दुर्भाग्य इस बात का है कि मंत्री और मुख्य मंत्रियों पर कार्यवाही नहीं होती है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता सांगानेर से आने वाले माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने बताया था, कटारिया जी जवाब दे रहे थे कि लोकायुक्त ने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं एक, दो किस्से आपको बताना चाहूंगा, साहब...

श्री उपाध्यक्ष: लोकायुक्त के किस्से नहीं होते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम यह चाहते हैं साहब, कि आठ साल कार्यकाल आप कर रहे हो, आखिर आपकी मंशा क्या है जो इसको आठ साल कर रहे हो। आप मजबूत लोकायुक्त बनाओ, जो कार्यवाही कर सके। जिसके पास पुलिस फोर्स हो, जो खुद एफआईआर दर्ज कर सके, खुद अपना

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अलग से उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश के अन्दर जो बना है उस तरह का मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के लोग चाहते हैं। अब कार्यकाल आप बढ़ा लोगे। इससे कुछ भी नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट, आपके दो मामले थे- एक तो खान घोटाला जो हुआ था। उसके अन्दर इन्हीं लोकायुक्त, वर्तमान लोकायुक्त ने अशोक सिंघवी के कहने से उसके अन्दर जांच अधिकारी बदल दिया और उसके पुरस्कार स्वरूप आप इनका कार्यकाल बढ़ा रहे हो। एक बात तो सुन लो। दूसरा, 1 जनवरी, 2015 को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कौनसा जांच अधिकारी बदल दिया? जरा बताएंगे आप...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट रुको आप...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कौनसा अधिकारी था, जांच कर रहा था। किस मामले में जांच कर रहा था...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी सारा ही बता दूंगा, अभी बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, आप। एक मिनट रुको...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खड़े हैं और हवा में बात उछाल जाएं, लोकायुक्त पर आक्षेप लगा जाएं। लोकायुक्त जिनको अधिकार है मंत्रियों के बारे में जांच करने का...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कहां है, कहां पर अधिकार है, कहां पर अधिकार है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सिविल सर्वेन्ट के बारे में जांच करने का, उन पर आरोप लगाये जा रहे हैं। बिना किसी आधार पर लोकायुक्त ने खान घोटाले में अशोक सिंघवी को बचाने के लिए जांच बदल दी, नाम पूछो इनसे, क्या नाम था, किसको बदला, किस तारीख को बदला, कब बदला? सदन के पटल पर रखें सारी बात।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप कौन हो नाम पूछने वाले, आप कौन हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। माननीय सदस्य, आप भी एक मिनट विराज जाएं, आप एक मिनट विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बोलने का तो राइट दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। मैं आप सब से यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस संस्था के संबंध में आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह संस्था बहुत गरिमामय संस्था है और जिस सदन में आप विचार कर रहे हैं, वह भी उतना ही गरिमामय है। आप व्यक्तिगत नाम न लेकर, आपको अगर अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो लोकायुक्त का नाम भी नहीं जानता, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराज जाएं। ये आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सुझाव ही दे रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुझाव भी दें और अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा तथ्यात्मक टिप्पणी....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तथ्यात्मक कर रहा हूं, साहब...

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने कथन को वापिस विलोपित करना चाहते हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं साहब, आज आखिरी दिन है। ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं एक दो निवेदन और करूंगा साहब। देखो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं राजस्थान के अन्दर। इसलिए वहीं बात कहूंगा जो आम आदमी के हित की बात हो। वैसे तो ज्यादातर बात घनश्याम जी ने कह दी। उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला था 1 जनवरी, 2015 का, जिसमें लोकायुक्त द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत सहित समस्त लोक सेवकों जिन्होंने सी.पी. कोठारी को रीको के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया के खिलाफ एफआईआर कर सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की थी, तो सरकार ने आज तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई बताओ? सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई? ये जो रिपोर्ट आप हमें भेजते हो, उसको हमने पढ़ा है और ऐसी कई रिपोर्ट जो मुख्य मंत्रियों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त ने सिफारिश की है लेकिन जान बूझकर वह लोकायुक्त जिसकी नियुक्ति अशोक गहलोत ने की, वह

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लोकायुक्त वसुन्धरा जी को कैसे पसन्द आ गया। ये मिला-जुली का खेल है। महारानी और जादूगर एक ही हैं राजस्थान के अन्दर और मजबूत लोकायुक्त का मैसेज देना चाहते हो कि हमने 50 हजार का कर्जा माफ कर दिया, लोक पाल मजबूत कर दिया। लोगों को क्या पता कि आप इसको बढ़ाकर और मुहर लगाना चाहते हो। जितने काले कारनामे 5 साल के अन्दर किये, उन पर भी पर्दा डालोगे और मिला-जुली का आपका खेल है। दो दिन से हम देख ही रहे हैं किस तरह आप आपस में मिल जुलकर कर रहे हो और राजस्थान की जनता का कितना करोड़ो-अरबों रुपया, जनता देख रही थी कि सदन चलेगा, हमारी मांगें मानी जाएंगी, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कानून का राज नहीं है। आपने आपस में मिला-जुली का खेल करके इस सदन की गरिमा को तार-तार किया। इस लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाने की मैं निन्दा करता हूं। जब राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है तो लोकायुक्त कौनसा उनसे बड़ा हो गया, जो आप आठ साल का कार्यकाल बढ़ा रहे हो और क्या गारन्टी है कि आप दोनों आओगे इस बार। क्या जरूरी है कि आओगे? जो आएगा वह वापस खतम कर देगा इसको। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। मैं तो यही कहूंगा कि जो महाधिवक्ता लोढ़ा, आपने ही बनाई थी 2014 के अन्दर, महाधिवक्ता लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मजबूत लोकायुक्त बनाने की जो आपने सिफारिश की थी। उनको सार्वजनिक करो, मजबूत लोकायुक्त बनाओ ताकि आम आदमी का सरकार के ऊपर भरोसा कायम रहे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अख़बार का पहला पन्ना खोलते ही बड़े से बड़े भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, कभी ललित मोदी का मामला आता है, तो कभी कोई दूसरा मामला आता है, कभी कोई लंदन भाग जाता है, कभी कोई और भाग जाता है और अब मुझे लग रहा है लोगों ने यह तय कर लिया कि खूब माल लूटो और फिर बाहर भाग जाओ। वापिस दूसरी सरकार नहीं ला पाएगी। यह मिला-जुली का खेल है, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। हमें नया राजस्थान बनाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का जवान, किसान माफ नहीं करेगा दोनों पार्टियों को, जो मिल-जुलकर आपने इस राजस्थान का सत्यानाश किया और राजस्थान की जनता की खून-पसीने की कमाई को लूटकर, नये-नये

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विधेयक और नये-नये कानून आप रोज पास करवा रहे हो, जो मर्जी है करा रहे हो। आपने मुख्य मंत्रियों के, पूर्व मुख्य मंत्रियों के बंगलों का मामला था। कल हमारे....

श्री उपाध्यक्ष: अब इसका लोकायुक्त से क्या संबंध है, श्रीमान। एक मिनट, अब आप विराज जाएं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जांच का विषय है, सर। चार करोड़...

श्री उपाध्यक्ष: ये कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना सा था लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाया जाए और उस संबंध में एक बिल लाया गया है। आपको उस बिल के स्काप और उसकी लिमिट्स में रहकर अपनी बात को अभिव्यक्त करना है। आप तो पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। अगर अपन को पूरे संविधान की ही समीक्षा करनी है तो उसके लिए तो हमें वापस एक बार हमको सदन को आहूत करना पड़ेगा। इसलिए संवैधानिक मर्यादा को निभाते हुए अपने व्यक्तव्य को इस विधेयक तक सीमित रखकर आप अपनी बात कहें, जिससे कम से कम इसमें कोई असर होना हो तो उसका सार भी निकल जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मजबूत लोकायुक्त बने, लोकायुक्त को पूरी शक्तियां मिलें, जो आपके उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को हैं। लोकायुक्त को मुख्य मंत्री और मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार हो, उसकी अलग से पुलिस हो। जैसा सांगानेर से आने वाले विधायक जी ने सारी बात बताई थी और मैं तो यह चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का खात्मा राजस्थान के अन्दर हो। अब साहब मैं तो अकेला निर्दलीय विधायक हूं। देखो, मेरे साथ संख्या तो ज्यादा है नहीं। हम बार-बार, अब घनश्याम जी और हम साथ हैं अभी तो फिलहाल। ये भाजपा के अन्दर बैठकर लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं विपक्ष की तरफ से लड़ रहा हूं। बाकी तो नूरा कुश्ती चल रही है। आपको लोग देख रहे हैं पांच साल से।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस लोकायुक्त का, ये चुनाव के समय के अन्दर जनता में मैसेज देने के लिए कि हम कर्ज माफ कर रहे हैं, स्टेट हाई-वे का टोल फ्री कर दिया, वह कर दिया, एक लाख नौकरियां निकाल दीं और अब मजबूत लोकायुक्त लेकर आ रहे हैं। आप मैसेज यह दोगे कि मजबूत

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन इससे लोकायुक्त मजबूत नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय। इससे इनका काम आसानी से निकल जाएगा। दो-तीन कामों पर और पर्दा डालना है, वे काम आप इससे कर लोगे। इसमें ऐसी बू आ रही है। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। इस बिल को नहीं लाया जाए, मेरी यह मांग है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अपने मन में जितना गुबार भरा हुआ था, उसको पांच साल से आठ साल बढ़ाने में लगा दी। अगर कोई कानून के तरीके से बात करते। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय कर दिया कि विधान सभा ने कोई विधेयक अगर पास कर लिया तो उस पर उनको विचार करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पांच से आठ साल हुआ था। वह वैसा का वैसा लागू रह गया। मैं सोचता हूं उसी दृष्टि से तो है नहीं। दूसरा यह है कि माननीय सदस्य, राजस्थान बहुत राज्यों में से अग्रणी रहा है, जिसने 1973 में अपना लोकायुक्त का कानून बना दिया और उसके बाद 1973 के बाद समय-समय पर इसमें अमैन्डमेन्ट आया, समय-समय पर आप सब विद्वान सदस्य, जो उस समय थे विधान सभा में, उन्होंने इस पर अपनी चर्चा की है। आपने देखा पहला संशोधन 1978 में लाये थे, जब पांच साल की अवधि को घटाकर 3 साल किया था।

उसके बाद फिर 1987 में इसमें वापस अमेंडमेंट किया और तीन साल से वापस बढ़ा करके पांच साल किया। तब 1987 में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य इस हाउस में उपस्थित थे। यह आपके समय डिस्कस हुआ था। ये दाँत से काटते हैं कि हाथ से काटते हैं उस समय आपकी बात को मैं पढ़ नहीं पाया कि उस समय यह सुझाव था कि नहीं था। तो वास्तव में मैं सोचता हूं कि लोकायुक्त को और सशक्त बनाया जाए यह राय निरन्तर आ रही है सभी जगह से आ रही है। अन्ना हजारे ने भी इस विषय को रखा। जैसे -जैसे समय के अनुसार, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज का जो विषय है केवल उसकी अवधि बढ़ाने का है और वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश ने जो लागू किया उसको उन्होंने यथावत माना और हमारी विधान सभा जिसको स्वीकृति दे रही है, कहीं भी किसी भी जगह चुनौती नहीं है और यह पद हमेशा भरा रहे। कई वर्षों तक इस पद पर नियुक्ति ही नहीं होती थी अब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कम से कम इस पद पर नियुक्ति तो रही। यह जो अभी लोकायुक्त हैं उनकी नियुक्ति 2013 में जब हुई थी उसके पहले कितने साल तक लोकायुक्त का पद खाली था। कितने सालों तक? मेरे पास वह सूची है कि कौन-कौन यहां लोकायुक्त कब-कब रहे और कितना समय बीच में गैप रहा। लेकिन हमने कम से कम एक कोशिश की कि यह एक ऐसा पद है कि जिसके कारण से इस भ्रष्टाचार पर, अनियमितता पर, सरकारी अधिकारी हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी किसी लेवल का हो, जो इसके परव्यू में आता है उसके खिलाफ कार्यवाही करने का एक अधिकार दिया हुआ है। उस अधिकार को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, यह तर्क-वितर्क हो सकता है। लेकिन मैं सोचता हूं आज सदन के सामने इतना ही है कि हम इस अवधि को बढ़ा रहे हैं और उसका भी मैंने कारण बताया। आज भी उसके पास माथुर आयोग का केस पैंडिंग है। आज भी खान आबंटन की चार जिले की फाइलें पेंडिंग हैं और भी कई कैसेज हैं। व्यक्तिगत सुनवाई के भी जो कैसेज जाते हैं, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करता है उसको भी यह सुनता है और सुनकर के उसकी सारी प्रोसीडिंग बना करके कार्यवाही करता है। मैं सोचता हूं कि नहीं से हम बहुत आगे बढ़े हैं और सुधार की गुंजाइश जहां-जहां, जब-जब सदन के द्वारा चर्चा में आएगा, सरकार इस पर विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। मैं सोचता हूं कि अभी जो कुछ हमने किया, उसको सदन स्वीकृति दे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 श्री गजेन्द्र सिंह जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री गजेन्द्र सिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गजेन्द्र सिंह।

विधेयक का पारण

श्री गजेन्द्र सिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक ही बात कहनी है कि यह जो बिल है, वह भी मेरे कारण से लाया गया है। क्योंकि बांस को काटने की ये अनुमति ले रहे हैं और मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी आया है इसलिए चाहते हैं कि बांसुरी बजे ही नहीं, लेकिन यह बांसुरी बजेगी। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।

राष्ट्र गान।

(श्री उपाध्यक्ष)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.25 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जमवारामगढ़ में सड़कों पर व्यय राशि

18. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष, 2008 से दिसम्बर, 2013 तक कितनी नयी सड़कें बनायी गयीं तथा कितनी पुरानी सड़कों का नवीनीकरण किया गया एवं उक्त सड़कों के लिये कुल कितना बजट आबंटित हुआ व उसमें से कितना बजट व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 से अगस्त, 2018 तक कितनी नई सड़कें बनायी गयीं तथा कितनी पुरानी सड़कों का नवीनीकरण किया गया एवं उक्त सड़कों के लिये कुल कितना बजट आबंटित हुआ तथा उसमें से कितना बजट व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार द्वारा सड़कों पर अधिक राशि व्यय की गयी है? यदि हां, तो वर्षवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक बनायी गयीं नई सड़कों व पुरानी के नवीनीकरण के कार्यों से संबंधित वर्षवार बजट आबंटन व खर्चे की सूचना क्रमशः प्रपत्र "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 से अगस्त, 2018 तक बनायी गयी नई सड़कों व पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के कार्यों से संबंधित वर्षवार बजट आबंटन व खर्चे की सूचना क्रमशः प्रपत्र "स" व "द" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत सरकार के मुकाबले वर्तमान सरकार द्वारा सड़कों पर राशि 3835.39 लाख रुपये अधिक राशि खर्च की गयी है, जिसका वर्षवार तुलनात्मक विवरण प्रपत्र "य" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति

19. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति नियमानुसार की गयी है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के समान ही योग्यता, वेतन, स्थाईकरण, नियुक्ति तिथि व अनुभव रखने वाले प्रबोधकों की पदोन्नति नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संबंधित नियमों की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के नियम 27 से 30 तक एवं अनुसूची के क्रम संख्या-02 में वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति संबंधी प्रावधान किये गये हैं, परन्तु शिक्षा विभाग में वर्तमान में वरिष्ठ प्रबोधक के पद स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रबोधकों की पदोन्नति किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रबोधकों की विभिन्न समस्याओं/मांगों में से मांग संख्या-03 वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति संबंधी प्रकरण के निस्तारण हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा चुकी है। उक्त कमेटी की अब तक चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। कमेटी की अभिशंसा/रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

20. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक तहसील स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(3) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प घोषणा-पत्र में प्रत्येक तहसील मुख्यालय अथवा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो महाविद्यालय नहीं खोलने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार तहसील मुख्यालय बानसूर पर सहशिक्षा महाविद्यालय एवं नारायणपुर में बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरकार सुराज संकल्प 2013 के बिन्दु संख्या 5.03 व 10.17 की घोषणा के अनुसार पहले प्राथमिकता के आधार पर राज्य के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय/स्तर पर सहशिक्षा एवं महिला शिक्षा के राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए प्रयासरत है।

(3) जी नहीं। सुराज संकल्प के बिन्दु संख्या 5.03 में घोषणा की गयी थी कि राज्य की प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की जाएगी एवं बिन्दु संख्या 10.17 में घोषणा की गयी थी कि प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिए जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं है, वहां सरकारी कालेज की स्थापना की जाएगी, प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। ये घोषणाएं प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय/स्तर के लिए है न कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय अथवा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए।

वर्तमान सरकार द्वारा कुल 79 राजकीय महाविद्यालय (71 नवीन राजकीय एवं 08 पुनर्गठित महाविद्यालय) स्थापित कर अध्यापन कार्य प्रारम्भ करवाया गया है।

(4) वर्तमान में निजी क्षेत्र में बानसूर में 07 महाविद्यालय एवं नारायणपुर में 03 महाविद्यालय (01 कन्या व 02 सहशिक्षा महाविद्यालय) संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

बानसूर एवं नारायणपुर से वर्तमान में संचालित राजकीय महाविद्यालयों की दूरी का विवरण निम्नानुसार है-

स्थान	**निकटतम राजकीय महाविद्यालय का नाम**	**लगभग दूरी किमी**
बानसूर	राज. महा. कोटपूतली राज. कन्या महा. कोटपूतली	18 किमी
नारायणपुर	राज. महा. थानागाजी राज. महा. कोटपूतली राज. कन्या महा. कोटपूतली	19 किमी 29 किमी

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर बानसूर मुख्यालय पर राजकीय सह शिक्षा महाविद्यालय एवं नारायणपुर में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर डेयरी द्वारा दुग्ध अवशीतन प्लांटों की स्थापना

21. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डेयरी द्वारा गत 5 वर्षों में दुग्ध अवशीतन प्लांट लगाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दुग्ध अवशीतन प्लांट लगाने के क्या नियम व प्रावधान हैं? नियमों व प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दुग्ध अवशीतन प्लांट लगाने में नियमों का पालन किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दुग्ध अवशीतन प्लांट जयपुर डेयरी द्वारा नहीं दिये जाते हैं। अत: इस सम्बन्ध में कोई नियम व प्रावधान नहीं है।

(गोपालन मंत्री)

(3) दुग्ध अवशीतन प्लांट जयपुर डेयरी द्वारा दिये ही नहीं जाते। अत: फिलहाल नियम नहीं बने हुए हैं।

निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या छात्रावास की स्थापना

22. श्री हीरालाल निवाई (निवाई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। अतिरिक्त बजट प्रावधान नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या छात्रावास खोलने का विभाग में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय पीपलू में विभाग का एक राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास (विद्यालय स्तर) स्वीकृत क्षमता 50 का संचालित है तथा विधान सभा क्षेत्र निवाई में विभाग द्वारा कुल 7 छात्रावास संचालित हैं:

1. राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जनजाति) बालक छात्रावास निवाई।
2. राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) बालक छात्रावास निवाई।
3. राजकीय देवनारायण छात्रावास निवाई।
4. राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) बालक छात्रावास राहोली।
5. राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) बालक छात्रावास दत्तवास।
6. राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास पीपलू।
7. अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पीपलू।

बीकानेर जिले में पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिक

23. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने आफलाइन व आनलाइन भवन निर्माण श्रमिक पंजीकृत श्रमिक हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(2) उक्त जिले में वर्ष 2014 से 2018 तक शुभ शक्ति योजना में कितने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया व कितने श्रमिक उक्त योजना के लाभ से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में वर्ष 2014 से 2018 तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा सहायता योजना में कितने बच्चों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितने बच्चे वर्तमान में लाभ से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में उक्त अवधि में सुलभ्य आवास योजना में कितने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भुगतान किया गया व वर्तमान में कितने श्रमिक उक्त योजना का लाभ लेने की प्रतीक्षा में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में कुल 94232 (46296 आफलाइन तथा 47936 आनलाइन) श्रमिक हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) मण्डल द्वारा शुभ शक्ति योजना दिनांक 01.01.2016 से लागू की गयी थी। उक्त योजना के लागू करने की तिथि से अब तक कुल 400 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया तथा 4133 श्रमिकों के आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(3) बीकानेर जिले में वर्ष 2014-18 तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा सहायता योजना में 8124 आवेदन स्वीकृत कर राशि रुपये 7,02,52,550 का भुगतान किया गया है तथा 12198 श्रमिकों के आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर है।

(4) बीकानेर जिले में वर्ष 2014-18 तक सुलभ्य आवास योजना अन्तर्गत 4 श्रमिकों को लाभान्वित कर रु. 3,62,750/- की सहायता राशि दी गयी है। वर्तमान में 15 श्रमिकों के आवेदन लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा से विमान सेवा पुन: प्रारम्भ करने की योजना

24. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष कोटा के लिए विमान सेवा प्रारम्भ करने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कोटा से हवाई सेवा पुन: प्रारम्भ करने की दिशा में अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कोटा से नियमित हवाई सेवा कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों को हवाई सेवा से जोडने के लिए इंट्रा स्टेट हवाई सेवा योजना आरम्भ की है तथा दिनांक 18.08.2017 से कोटा नगर को भी इस सेवा से जोड़ा गया। जिसके लिए मै. सुप्रीम ट्रांसपोर्ट आर्गनाईजेशन को अनुबंधित किया गया।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से पत्राचार जारी है तथा कोटा हवाई सेवा को "नोन शिडयूल परमिट" बेसिस पर ही संचालन कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त होते ही कोटा में इंट्रा स्टेट योजना के अन्तर्गत नियमित हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी जाएगी।

भीम के चिकित्सा केन्द्रों में स्वीकृत पद

25. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं एवं प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने-कितने पद सृजित हैं? क्या सृजित पद-अनुसार सभी चिकित्सक पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम व देवगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में ट्रोमा यूनिट स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(4) क्या उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ क्वाटर्स बने हुए हैं? यदि हां, तो कब से? क्या उक्त क्वाटर्स में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी निवास करते हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त भवन किन मानदण्डों एवं किनके द्वारा जमीन तय करके बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। इन पर सृजित एवं कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में चिकित्सकों के 18 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से कनिष्ठ विशेषज्ञ के 5, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का 1 एवं चिकित्सा अधिकारी का 1 पद रिक्त है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवगढ़ में चिकित्सकों के 13 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से कनिष्ठ विशेषज्ञ के 3, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का 1 एवं चिकित्सा अधिकारी 3 पद रिक्त है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती से भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 113 पदों पर भर्ती की गयी है। जिनमें से 105 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पदस्थापन आदेश दिनांक 05.09.2018 को जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में क्रमश: वर्ष 2004 एवं वर्ष 2010 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में ट्रोमा यूनिट की स्वीकृति जारी की गयी है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम में चिकित्सकों के लिए 3, नर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 4 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 1 क्वार्टर का निर्माण दिनांक 12.01.2012 को पूर्ण किया है। क्वाटर्स के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सालय से दूर होने के कारण चिकित्सकों/कर्मचारियों द्वारा इनमें निवास नहीं किया जा रहा है।

(5) चिकित्सालय परिसर में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर, राजसमंद के पत्र क्रमांक दिनांक 23.11.2009 के तहत गांव बालोतों की गुवार में भूमि आबंटित की गयी। निर्धारित मापदण्ड अनुसार उक्त भवनों का निर्माण कार्य करवाया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना के कार्य को पूर्ण कराने की कार्ययोजना

26. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना के फेज प्रथम के लिए स्वीकृति (एल.ओ.ए.) जारी की गयी थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना के कार्य को पूर्ण करने की अवधि 18 माह निर्धारित की गयी थी? यदि हां, तो उक्त अवधि में क्या-क्या कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं व क्या-क्या कार्य शेष हैं? शेष कार्यों के अब तक पूर्ण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं व अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण उक्त परियोजना का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किये जाने के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर में सीवरेज परियोजना फेज प्रथम हेतु स्वीकृति (एल.ओ.ए.) दिनांक 22.01.2016 को जारी की गयी थी। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। सीवरेज परियोजना में 88.60 किमी सीवर लाइन, 10683 प्रापर्टी कनेक्शन तथा 3 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) क्रमश: 1 एमएलडी, 3 एमएलडी, 1 एमएलडी एवं 2 पम्पिंग स्टेशन का कार्य किया जाना है। अब तक 71.98 किमी सीवर लाइन, 01 एमएलडी एसटीपी (फायर स्टेशन) का सिविल कार्य 98 प्रतिशत, 03 एमएलडी एसटीपी (बस डिपो) का सिविल कार्य 85 प्रतिशत एवं 1.83 एमएलडी एसपीएस (मण्डी गेट) का सिविल कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण किया गया है तथा कार्यों को पूर्ण करने में निम्न व्यवधान रहा:-

1. 3 एमएलडी एसटीपी के निर्माण हेतु प्रस्तावित जमीन जोहड की होने के कारण डिजाइन में परिवर्तन कर वैकल्पिक भूमि बस स्टैण्ड के पास दिनांक 16.08.2016 को उपलब्ध करायी गयी।
2. पम्पिंग स्टेशन हेतु प्रस्तावित भूमि निकट मण्डी गेट में पानी भरा होने के कारण भूमि का डी मार्केशन देरी से होने के कारण दिनांक 28.09.2016 को उपलब्ध हुई।
3. 1 एमएलडी एसटीपी हेतु प्रस्तावित भूमि भगतो का जोहड़ थी। उक्त भूमि प्राइवेट ट्रस्ट की है। नगरपालिका द्वारा ट्रस्ट से भूमि आबंटन करवाने पर, फर्म को दिनांक 23.06.2017 को देने पर, फर्म द्वारा कार्य शुरू किये जाने पर स्थानीय जन विरोध के कारण कार्य बन्द करना पड़ा, उसके उपरान्त 27.12.2017 को नगरपालिका द्वारा दूसरे स्थान पर जमीन आबंटित की गयी।
4. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट व सीवरेज पम्पिंग स्टेशन की भूमि डूब/ भराव क्षेत्र होने के कारण वर्षा के दौरान जल भराव रहा व आस पास के क्षेत्र का अपशिष्ट जल निरन्तर आगमन रहता है।
5. बजरी पर नवम्बर, 2017 से प्रतिबन्ध है।

कार्य में विलम्ब के कारण आज दिनांक तक रुपये 35.00 लाख की अंतरिम शास्ति लगाई जा चुकी है जिसका निर्धारण गुणादोष के आधार पर अंतिम समयावधि पर किया जाएगा। कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक 31.03.2019 है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 02 के उत्तर में निहित है।

(4) जी हां। इस परियोजना का कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक 31.03.2019 है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोलायत में क्रमोन्नत विद्यालय

27. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट वर्ष 2018 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 03 विद्यालय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के तहत प्रदेश में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त घोषणा के तहत कोलायत विधान सभा क्षेत्र के तीन विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? यदि हां, तो क्रमोन्नत विद्यालयों का मय स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट घोषणा 2018-19 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 03 विद्यालय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा नहीं की थी, अपितु प्रदेश के 1832 विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गयी थी। जिनके विरुद्ध अब तक 1108 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 735 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके जिनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कोलायत में 07 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर तथा 06 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर व पावटा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

28. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विराटनगर एवं पावटा विकास खण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में निजी क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विराटनगर मे 05 महाविद्यालय एवं पावटा में 07 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विराटनगर एवं पावटा से वर्तमान में संचालित राजकीय महाविद्यालयों की दूरी का विवरण निम्नानुसार है-

स्थान	**निकटतम राजकीय महाविद्यालय का नाम**	**लगभग दूरी किमी**
विराटनगर	राज. कन्या महा., शाहपुरा	25 किमी
पावटा	राज. महा. कोटपूतली राज. कन्या महा. कोटपूतली राज. कन्या महा., शाहपुरा	19 किमी 27 किमी

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विराटनगर एवं पावटा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के किसानों की कर्जा माफी की योजना

29. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के कर्जा माफ करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कौन-कौनसी श्रेणी के किसानों के कितने-कितने कर्जे को माफ करने की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के कौन-कौनसी श्रेणी के किसानों के कितने-कितने कर्जे माफ किये गये? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के किसानों के समस्त कर्जों को माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में कर्जा माफी की घोषणा की गयी है।

घोषणा में लघु/सीमान्त कृषकों एवं अन्य कृषकों की श्रेणी में वर्गीकृत किसानों को निम्नानुसार कर्जा माफी किये जाने का प्रावधान है -

- लघु व सीमान्त कृषकों की ओर 30 सितम्बर, 2017 को बकाया (अवधिपार की स्थिति में) समस्त ब्याज व शास्तियां माफ की जाएगी।
- लघु व सीमान्त कृषकों की ओर 30 सितम्बर, 2017 को बकाया अल्पकालीन सहकारी ऋण के विरुद्ध अधिकतम रुपये 50,000/- तक के ऋण माफ (Waive) किये जाएंगे।
- अन्य कृषकों की ओर 30 सितम्बर, 2017 को बकाया (अवधिपार/ अनावधिपार) कुल राशि में से लघु कृषक की भूमि जोत सीमा के अनुपात में अधिकतम रुपये 50,000/- माफ किये जाएंगे।

बजट घोषणा 2018 के क्रियान्वयन के संबंध में जारी राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) झुंझुनूं विधान सभा क्षेत्र के 10115 लघु/सीमान्त कृषकों को रुपये 3418.19 लाख तथा 255 अन्य कृषकों की राशि रुपये 60.70 लाख, कुल 10370 कृषकों की राशि रुपये 3478.89 लाख के कर्जे माफ किये गये हैं। झुंझुनूं विधान सभा क्षेत्र के कर्जा माफी की तहसीलवार सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अन्य राज्यों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र बनाने की योजना

30. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दूसरे राज्यों की जिन महिलाओं की शादी राजस्थान में हुई है उनका जाति प्रमाण-पत्र उनके राज्य के जाति प्रमाण-पत्र

(मास्टर मामन सिंह यादव)

के आधार पर नहीं बनाया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा सभी उपखण्ड अधिकारियों को जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाने के लिये पाबन्द किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिए उच्च न्यायालय से आमजन को राहत दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस संबंध में तथ्य यह है कि अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियो के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.08.1984 परिपत्र जारी किया गया है (परिशिष्ट-अ) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के माइग्रेटड व्यक्तियों के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.1994 (परिशिष्ट-ब) परिपत्र जारी किया गया है। उक्त दोनों परिपत्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि अपने मूल राज्य से अन्य राज्य में शिक्षा, रोजगार आदि के लिये माइग्रेट करता है तो उसका अपना जाति का दर्जा तो बना रहेगा परन्तु देय सुविधाएं एवं रियायतें वह अपने मूल राज्य से पाने का अधिकारी होगा न कि उस राज्य से जहां वह माइग्रेट होकर निवास करने लगा है।

इसके अलावा कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र 21.10.2002 (परिशिष्ट-स) के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे है ऐसे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है लेकिन ऐसे माइग्रेट व्यक्तियों की संतानों को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची (जिसे अधिसूचित किया गया है) में सम्मिलित है तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

अन्य राज्यों से विवाह होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रही अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

या नहीं, इस संबध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.07.2018 को भारत सरकार को पत्र लिखकर मार्गदर्शन चाहा गया है।

चूंकि प्रकरण अन्तरराज्यीय स्तर का है, अत: भारत सरकार द्वारा मार्ग दर्शन प्राप्त होने के पश्चात ही इस संबंध में कोई समुचित कार्यवाही की जा सकती है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

31. श्री रमेश (सपोटरा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार अपने सुराज संकल्प पत्र में पांच साल में पन्द्रह लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी?

(2) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने शिक्षित बेरोजगार हैं?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक स्नातक/स्नोत्तकोत्तर डिग्रीधारी बेरोजगार को बेराजगार भत्ता देने का वादा किया गया था? यदि हां, तो जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2018 तक कुल कितने बेरोजगारों को कितना बेराजगारी भत्ते का भुगतान कब-कब किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने अपने सुराज संकल्प पत्र 2013 में आगामी पांच वर्षों में 15 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने की घोषणा की गयी थी।

(2) वर्तमान में रोजगार विभाग की सजीव पंजिका पर 31 जुलाई, 2018 को 589111 शिक्षित बेरोजगार उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। राज्य के पात्र स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्रीधारी बेरोजगार के आवेदन करने पर उसे अधिकतम दो वर्ष के लिये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जनवरी, 2014 से मार्च, 2017 तक पुरुष एवं महिला आशार्थी को 500/- रुपये प्रतिमाह तथा विशेष योग्यजन आशार्थी को 650/- रुपये प्रति माह की दर से भत्ते का भुगतान किया गया था। अप्रैल, 2017 से भत्ते की राशि में वृद्धि कर पुरुष आशार्थी को 650/- रुपये प्रति माह तथा महिला एवं विशेष

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

योग्यजन आशार्थी को 750/- रुपये प्रति माह की दर से भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। उक्त अवधि में कुल 132290 पात्र आशार्थियों को 103-10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर में कुओं व बावड़ियों के जीर्णोद्धार की योजना

32. डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जलमंदिर योजना के तहत बीकानेर (पश्चिम) में कितने जलाशयों का जीर्णोद्धार व विकास कार्य करवाया गया?

(2) उक्त क्षेत्र में विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये?

(3) क्या उक्त योजना के तहत जर्जर सभी कुओं व बावड़ियों को चिन्हित किया गया है?

(4) क्या शेष रहे कुओं व बावड़ियों के जीर्णोद्धार व विकास हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जलमन्दिर योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन अभियान फेज प्रथम के अन्तर्गत बीकानेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित 2 कुण्डों का जीर्णोद्धार व विकास कार्य करवाया गया:-

1. लक्ष्मीनाथ गणेश मन्दिर परिसर में स्थित कुण्ड का जीर्णोद्धार कार्य।
2. गोपेश्वर महादेव मन्दिर में कुण्ड के आस-पास का पायतान पक्का करने का कार्य।

उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्मीनाथ गणेश मन्दिर परिसर में स्थित कुण्ड का जीर्णोद्धार कार्य में राशि रुपये 15.00 लाख खर्च किये गये एवं गोपेश्वर महादेव मन्दिर परिसर में कुण्ड के आस-पास का पायतान पक्का किया गया, जिसमें 6.41 लाख रुपये खर्च किये गये।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के मालपाणी अस्पताल में अनैतिक ड्रग ट्रायल प्रकरण की जांच

21. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सीकर रोड स्थित मालपाणी अस्पताल में अनैतिक ड्रग ट्रायल के प्रकरण की जांच करवायी गयी है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा, किसके आदेश से? संबंधित परिपत्रों व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच टीम के द्वारा कब व क्या रिपोर्ट पेश की एवं उस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनैतिक ड्रग ट्रायल जैसे गम्भीर प्रकरण में दोषी अस्पताल प्रबंधन एवं लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में सीकर रोड स्थित मालपाणी अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल के प्रकरण की जांच करवायी गयी है। यह जांच समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. के स्तर से दूरभाष पर निर्देशानुसार अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 21.04.2018 को की गयी। क्लिनिकल ट्रायल के संबंध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 की अनुसूची वाई के अधीन नियमन/ नियंत्रण एवं कार्यवाही के अधिकार औषधि महानियंत्रक (भारत) को प्रदत्त है। अत: प्रकरण में अग्रिम समस्त कार्यवाही केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) नई दिल्ली स्तर से की गयी है। अधिनियम के शिड्यूल 'वाई' की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार स्तर पर निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान के अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) स्तर पर इस प्रकरण में जांच की गयी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) अनैतिक क्लिनिकल ट्रायल जैसे उक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही सी.डी.एस.सी.ओ. नई दिल्ली के स्तर से की गयी है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के नियमन/नियंत्रण का सम्पूर्ण अधिकार भारत सरकार के अधीन गठित केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) नई दिल्ली को ही प्रदत्त है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत दवा की खरीद

22. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में गत पांच वित्तीय वर्षों तथा 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत खरीद की गई दवाइयों के पेटे व्यय राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत पांच वित्तीय वर्षो तथा 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. द्वारा जिलेवार चिकित्सा संस्थानों को वितरित की गयी औषधियों पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विगत पांच वित्तीय वर्षो तथा 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित संस्थानों में स्थानीय स्तर पर क्रय की गयी औषधियों पर व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विगत पांच वित्तीय वर्षो तथा 31 अगस्त तक की अवधि में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत खरीद की गयी दवाइयों के पेटे व्यय राशि का चिकित्सा महाविद्यालयवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल वैन

23. श्री रमेश (सपोटरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश)

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी मोबाइल मेडिकल वैन कहां-कहां संचालित हैं? करौली जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल वैन का वर्ष 2014 से मार्च, 2018 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में संचालित मेडिकल मोबाइल वैन पर कौन-कौनसे चिकित्सक/कार्मिक नियुक्त हैं? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014 से मार्च, 2018 तक उक्त जिले के कितने ग्रामों में कैम्प लगाकर कितने मरीजों की जांच की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में एजेन्सी द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक लगाये गये कैम्पों के बिलों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि में मेडिकल मोबाइल वैन वाहनों की कब-कब मरम्मत करायी गयी? बिलों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अवधि में मोबाइल यूनिट के विरुद्ध कब-कब कौन-कौनसी शिकायतें प्राप्त हुयीं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में एन.एच.एम. के अन्तर्गत 150 मोबाइल मेडिकल वैन संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। जिला करौली में संचालित 3 मोबाइल मेडिकल वैन द्वारा वर्ष 2014 से मार्च 2018 तक जिले में 1806 कैम्प लगाये जिसमें 163970 मरीजों का उपचार किया गया।

(2) करौली जिले में संचालित मेडिकल मोबाइल वैन पर नियुक्त चिकित्सक/कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2014 से मार्च, 2018 तक उक्त जिले में 1806 कैंप लगाये गये जिसमें 1,63,970 मरीजों का उपचार किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) एजेंसी द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक लगाये गये कैंपों के बिलों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) मेडिकल मोबाइल वैन वाहनों की मरम्मत के बिलों की प्रति सहित परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(6) उक्त अवधि में मोबाइल यूनिट के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में राजकीय कालेज की स्थापना

24. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता के द्वारा क्षेत्र में सरकारी कालेज खोलने की मांग लगातार की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक एवं जनजातीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता के द्वारा क्षेत्र में सरकारी कालेज खोलने की मांग लगातार की जा रही है। विभाग द्वारा नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव समय-समय पर बी.एफ.सी. की बैठकों में प्रस्तुत किये जाते रहे हैं।

(2) वर्तमान में निजी क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र जमवारामढ़ में 13 महाविद्यालय संचालित है जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जमवारामगढ़ से लगभग 30 किमी. दूरी पर राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, जयपुर संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकारी कालेज खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के राजकीय महिला पॉलीटैक्निक महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम

25. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(1) प्रदेश में ऐसे कितने राजकीय व निजी पोलिटैक्निक महाविद्यालय हैं, जहां Constume Design and Dress Making पाठ्यक्रम का अध्यापन करवाया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजकीय महिला पोलिटैक्निक महाविद्यालयों में वर्तमान में उक्त पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवक्ताओं के कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पाठ्यक्रम के प्रवक्ताओं के पदों पर भर्ती हेतु वर्तमान में क्या-क्या शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित हैं? क्या सरकार भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता में उक्त पाठ्यक्रम में तीन वर्षीय डिप्लोमा के स्थान पर सिर्फ स्नातक स्तर को ही अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 6 राजकीय महिला पोलिटैक्निक महाविद्यालय यथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, सांगानेर (जयपुर), जोधपुर एवं एक निजी महिला पोलिटैक्निक यथा श्रीदेवी महिला पालिटैक्निक महाविद्यालय, हनुमानगढ़ में Costume Design and Dress Making के पाठ्यक्रम का अध्यापन करवाया जा रहा है।

महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इन महाविद्यालयों में प्रवक्ता कास्टयूम डिजाइन एण्ड ड्रैस मेकिंग में निम्नानुसार पद रिक्त हैं:-

क्र.सं.	महिला पालि. महाविद्यालयों का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	अजमेर	03
2.	भरतपुर	07
3.	बीकानेर	01
4.	जयपुर	02
5.	जोधपुर	01
	योग	**14**

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

उक्त 14 रिक्त पदों में से 08 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 में प्रवक्ता कास्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रैस मेकिंग पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार योग्यता निर्धारित है :-

Bachelors Degree in Textile Technology/Textile Chemistry/B. Des. in appropriate discipline with First Class or equivalent, If a candidate has a Masters Degree, First Class or equivalent is required at Bachelors or Masters level in relevant discipline.

Or

First class M. Sc. In Fashion Technology/Clothing/Garment Technology of a recognized University/Institution.

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के बदरवास में कीर्ति सागर आवासीय योजना में भू-खण्डों का आबंटन

26. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर के मानसरोवर में स्थित बदरवास गांव में कौन-कौनसी सहकारी समितियों द्वारा पट्टे जारी किये हुए हैं? समितियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बदरवास में स्थित ब्लाक कीर्ति सागर 'ई' में किन-किन व्यक्तियों को भूखंड आवंटित हैं तथा उनको किन आधार पर कीर्ति सागर 'ई' में स्थानांतरित कर पट्टा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कीर्ति सागर योजना में कितने ब्लाक हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में संधारित रिकार्ड अनुसार मानसरोवर में स्थित ग्राम बदरवास में जिन सहकारी समितियों द्वारा पट्टे जारी किए गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बदरवास में स्थित कीर्ति सागर ब्लाक "ई" मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा सृजित कर भूखण्ड आबंटित किये गये। उक्त

(सहकारिता मंत्री)

योजना का रिकार्ड गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु कीर्ति सागर विकास समिति द्वारा सहकारिता प्रकोष्ठ (पी.आर.एन.), जविप्रा में प्रस्तुत कीर्ति सागर-ई योजना की सदस्यता सूची की प्रमाणित छाया प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। कीर्ति सागर-ई गैर अनुमोदित योजना है।

(3) कीर्ति सागर के 18 ब्लाक्स का रिकार्ड सहकारिता प्रकोष्ठ, (पी.आर.एन.), जविप्रा में कीर्ति सागर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलने की योजना

27. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ द्वारा हनुमानगढ़ जिले में नई शाखाएं खोला जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां पर? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा घोषणा के उपरान्त भी उक्त नई बैंक शाखाओं के अब तक नहीं खोले जाने के क्या कारण रहे एवं अब इन्हें कब तक खोल दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., हनुमानगढ़ के अन्तर्गत तीन स्थानों क्रमश: मसीतावाली हैड (प.स. टिब्बी), गांधी बड़ी (प.स. भादरा) एवं फेफाना (प.स. नोहर) में नई शाखा खोले जाने हेतु संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 08.06.2017 को प्रस्ताव लिया गया।

(2) पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति को देखते हुए प्रस्तावित शाखा खोले जाने की कार्यवाही स्थगित है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में प्रस्तावित भर्ती की कार्यवाही उपरान्त जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा खोला जाना सम्भव होगा।

रायसिंहनगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भुगतान

28. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भुगतान लम्बे समय से नहीं किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त पेंशनधारियों की समस्या का स्थायी हल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियां मे पात्र पेंशनरों को माह जुलाई, 2018 तक का पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।

(2) उक्त पेंशनधारियों को जुलाई, 2018 तक का भुगतान किया जा चुका है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा भूखण्डों के आबंटन में अनियमितता

29. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास (U.I.T.), भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को पी.पी.पी. मोड के नाम पर बहुमूल्य जमीनों को टोकन राशि पर 20 वर्ष की लीज पर देने का निर्णय लेकर शहर की पाश कालोनी आर.सी. व्यास योजना में 100x500 फीट तथा पंचवटी योजना में 8 बीघा जमीन सामुदायिक भवन के नाम पर एक-एक लाख रुपये में लीज पर देने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अप्रैल, 2017 में बनाई गई एम्पावर्ड कमेटी के दिशा-निर्देशों की पालना की गयी है और इस एम्पावर्ड कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य (स्थानीय विधायक) को भी आमंत्रित किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि एम्पावर्ड कमेटी की अब तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई है और मनमाने तरीके से आबंटन किया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि समाज के विभिन्न वर्गों व संस्थाओं को लगभग 60 भूखण्डों का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो एम्पावर्ड

(श्री घनश्याम)

कमेटी के गठन और अब तक आबंटित भूखण्डों को किये गये आबंटनों का आधार (मानदण्ड) क्या रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार की भूखंड आबंटन नीति के मानदंडों के विपरीत होने से उक्त आबंटनों को मनमाने तरीके से कानूनी जामा पहनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यास, भीलवाड़ा द्वारा ट्रस्ट बैठक दिनांक 17.11.2017 में आर.सी. व्यास योजना एवं पंचवटी योजना में सामुदायिक भवन पीपीपी मोड पर दिये जाने का प्रस्ताव लिया जाकर राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय-5-ए नियम 79 (ए से ओ) में निर्दिष्ट प्रावधानों की पूर्ति नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप न्यास भीलवाड़ा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कोई भी अग्रिम कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई। फलस्वरूप उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत नहीं की गई।

(2) न्यास भीलवाड़ा द्वारा आज दिनांक तक एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत नहीं की गई है। आबंटन के प्रस्ताव, आबंटन नीति 2015 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप ही नियमानुसार लिये जाकर सक्षम स्वीकृति उपरान्त आबंटन किए गए हैं।

(3) न्यास, भीलवाड़ा द्वारा कुल 63 संस्था, समाजों को भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव न्यास ट्रस्ट में लिये गये हैं। अब तक कुल 11 संस्था/ समाजों को रियायती दर पर आबंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। आबंटन के प्रस्ताव, आवंटन नीति 2015 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप ही नियमानुसार लिये जाकर सक्षम स्वीकृति उपरान्त आबंटन किए गए है।

(4) जी नहीं। भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही, भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव आबंटन नीति 2015 के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ट्रस्ट बैठक रखे जाने तथा सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कनकों की ढाणी, सांगानेर में श्मशान भूमि का नामान्तरण

30. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर में कनकों की ढाणी में लम्बे समय से अंतिम संस्कार के काम आ रहे तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 921 एवं 828 को श्मशान के लिए भू-अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को स्थानीय निवासियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सांगानेर तहसील के खसरा नम्बर 921 एवं 828 को श्मशान के नाम भू-अभिलेख में दर्ज करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्थानीय निवासियों द्वारा दिनांक 27.07.2017 को खसरा नम्बर 921 व 828 ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर (कनकों की ढाणी) की भूमि का श्मशान उपयोग के लिए भू-अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया है, प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) स्थानीय निवासियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्यालय द्वारा भू-अभिलेख में श्मशान उपयोग करने हेतु प्रकरण जविप्रा की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष भेजा गया है, प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) खसरा नम्बर 921 व 828 ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर (कनकों की ढाणी) की भूमि का श्मशान के नाम भू-अभिलेख दर्ज करने हेतु प्रकरण जविप्रा की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु भिजवाया गया है। भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण के निर्णय अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजनाएं

31. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा')

(1) श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा कौन-कौनसी आवासीय कालोनियां विकसित की गयी हैं एवं उनमें से किन-किन कालोनियों को जविप्रा द्वारा नियमित कर दिया गया है और कितनी को नियमित किया जाना शेष है? जोन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जविप्रा द्वारा उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की कौन-कौनसी कालोनियों को जयपुर नगर निगम में अंतरित कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति ने जगतपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर में सम्राट नगर आवासीय योजना से संबंधित दस्तावेज जविप्रा के सहकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सम्राट नगर योजना में किन-किन भूखण्डों के नामांतरण करने हेतु जविप्रा के सहकारिता विभाग में आवेदन प्राप्त हुए व निर्धारित शुल्क की रसीदें काटी गयीं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा विकसित आवासीय कालोनियां, नियमित कालोनियां, नियमन से शेष कालोनियों का विवरण जोनवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की जिन कालोनियों को जयपुर नगर निगम को अन्तरित कर दिया है, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड ने जगतपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर में सम्राट नगर आवासीय योजना से संबंधित दस्तावेजों में उक्त योजना की मात्र सदस्यता सूची ही सहकारिता प्रकोष्ठ, जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 1994 में प्रस्तुत की गयी, परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। उक्त योजना का नक्शा/ब्लू प्रिंट सहकारिता प्रकोष्ठ में समिति द्वारा पेश नहीं किये गये, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन संख्या-9 में श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना सम्राट नगर के प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार सदस्यता सूची परिशिष्ट "स" पर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

संलग्न है एवं समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। सहकारिता प्रकोष्ठ, जयपुर विकास प्राधिकरण में नाम हस्तान्तरण के आवेदित प्रकरणों में जिनका नाम हस्तान्तरण किया गया, की सूची परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(4) उक्त सम्राट नगर योजना में जिन भूखण्डों के नामान्तरण करने हेतु जविप्रा के सहकारिता विभाग में आवेदन प्रस्तुत हुए/निर्धारित शुल्क की रसीदें काटी गयीं, उनके हस्तान्तरण सदस्यता सूची में संबंधित भूखण्ड के आगे दर्ज है। हस्तान्तरित भूखण्डों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। सह. प्रकोष्ठ द्वारा मूल सूची में नाम हस्तान्तरण करते समय मूल आबंटी का नाम हटाकर नये सदस्य का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सह. प्रकोष्ठ में सम्राट नगर योजना वर्ष 1994 में प्रस्तुत की गयी जबकि जोन-9 में।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

32. **श्री विट्ठल शंकर अवस्थी** (भीलवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के वर्तमान चेयरमैन के पदासीन होने के पश्चात् सड़कों व अन्य कराये गये कितने विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने निर्माणाधीन हैं और कितने पाइप लाइन में व कितने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों आदि के निर्माण के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया है? यदि हां, तो उनमें राजकीय/नगर विकास न्यास के स्वामित्व की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है और निजी स्वामित्व की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निजी स्वामित्व की अधिग्रिहत भूमि का मुआवजा किस आधार पर तय किया जाकर भुगतान किया गया है? अब तक भुगतान किये गये मुआवजे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कितना मुआवजा किस-किस मद में, किस-किस दर से भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

(5) क्या सरकार द्वारा नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा की भावी विकास योजनाओं का कोई रोड मैप बनाया गया है? यदि हां, तो रोड मैप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यास भीलवाड़ा में वर्तमान चेयरमैन के पदासीन होने से आज दिनांक तक 159 विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 195 विकास कार्य वर्तमान में निर्माणाधीन हैं तथा 340 विकास कार्य पाइप लाइन में हैं, जिनकी विस्तृत सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) न्यास द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं कर न्यास अधिनियम 1959 की धारा 51 के तहत आपसी समझौते एवं सहमति से ही समायोजन की कार्यवाही नियमानुसार तय की गई है।

(4) न्यास भीलवाडा द्वारा नकद मुआवजा नहीं दिया गया है। आपसी सहमति/समझौते के आधार पर ही न्यास अधिनियम 1959 की धारा 51 के तहत समायोजन किया गया है।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुरूप ही विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी के तहत बहूउद्देशीय योजना के तहत 2111 हैक्टेयर भूमि पर योजना प्रस्तावित है साथ ही सांगानेर ग्राम में औद्योगिक योजना विजयराजे सिंधिया के नाम से क्रियान्वित की जानी है जिसमें छोटे व बड़े आकार के औद्योगिक भूखण्ड 443 सृजित किये तथा आवासीय हेतु विभिन्न आकार के 610 भूखण्ड दर्शाये गये हैं। उक्त योजना में राजस्थान सरकार के समस्त कार्यालय न्यायालय परिसर, सार्वजनिक सुविधाऐं इत्यादि सम्मिलित किये जाने हैं। इस हेतु कोठारी नदी के उत्तर पूर्व में राजस्व ग्राम पालडी, सांगानेर एवं गोविन्दपुरा में सरकारी भूमि उपलब्ध होने तथा पूर्व में उक्त ग्रामों में मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालय, आर.ए.सी. बटालियन, जेल, कृषि उपज मंडी, राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के लिये भूमियां आबंटित की जाकर प्रस्तावित की हुई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जगदम्बा नगर आवासीय कालोनी को नियमित करने की योजना

33. **श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(1) क्या यह सही है कि अपोलो हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि., द्वारा अजमेर रोड स्थित हीरापुरा पावर हाउस के पीछे जगदम्बा नगर नामक आवासीय कालोनी बनायी गयी है? यदि हां, तो सोसायटी द्वारा प्रस्तुत जगदम्बा नगर ए, बी, सी, डी, ई का ले-आउट प्लान एवं जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कालोनी में वर्तमान भूखण्ड संख्या डी-580-ई का भी पट्टा जारी किया गया है यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति, जारी पट्टे, व साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-17 के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2014 व 02 अप्रैल, 2014 को वर्तमान में स्थित भूखण्ड संख्या डी-580-ई के स्थान से अतिक्रमण हटाकर, यू.ओ. नोट क्रमांक 44 दिनांक 03 अप्रैल, 2014 के द्वारा अवगत कराया गया था कि अवैध निर्माण के संबंध में सतत् निगरानी जारी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में उक्त स्थान रिक्त है या फिर उक्त सरकारी रोड पर बाउण्ड्री बनाकर मकान का निर्माण कर लिया गया है? यदि हां, तो निर्माण की स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त रोड की चौड़ाई जविप्रा के स्वीकृत नक्शे में कितनी है और वर्तमान में मौके पर कितनी है? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को पुन: हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार जगदम्बा नगर 'बी' को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अपोलो हा. को. सो. लि. द्वारा अजमेर रोड स्थित हीरापुरा पावर हाउस के पीछे जगदम्बा नगर नामक आवासीय योजना सृजित की गयी है। सोसायटी द्वारा प्रस्तुत जगदम्बा नगर ब्लॉक ए, बी, सी, डी व ई के ले-आउट प्लान परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा जविप्रा द्वारा स्वीकृत जगदम्बा नगर ब्लाक ए, सी व डी के ले-आउट प्लान परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शेष ब्लाक बी व ई वर्तमान में गैर अनुमोदित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। जोन द्वारा भूखण्ड संख्या डी-580-ई का पट्टा दिनांक 04.06.2018 को जारी किया गया है। नियम दिनांक 12.04.2018 की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है तथा जारी पट्टा, साइट प्लान की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) यह है कि दिनांक 04.03.2014 व 02.04.2014 को उक्त वर्णित भूखण्ड संख्या डी-580-ई पर किये जा रहे अवैध निर्माण को तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी जोन-17 द्वारा हटवाया गया था तथा पुन: निर्माण नहीं हो इस बाबत निगरानी जारी थी। तत्पश्चात नगरीय विकास विभाग राज. सरकार के आदेश क्रमांक: प.18(13)नविवि/जयपुर/2016/12.04.2018 के अनुसार 17.06.1999 से पूर्व की बसी कालोनियों में 90 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में सामने शून्य सैटबैक रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेश की पालना में उक्त भू-स्वामी को भी उपायुक्त जोन-17 द्वारा जून, 2018 में 50.66 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया गया। वर्तमान में भू-स्वामी द्वारा उक्त भूखण्ड के आंशिक भाग पर एक कमरा (जी+1) का निर्माण किया हुआ है जो सरकारी सड़क सीमा को छोड़ते हुए किया गया है एवं शेष भूखण्ड की प्लीन्थ लेवल तक चिनाई कर रखी है व शेष भाग रिक्त है तथा सड़क सीमा में निर्माण नहीं है।

(4) वर्तमान में उक्त स्थान भू.स. डी-580-ई के प्रार्थी द्वारा सरकारी सड़क सीमा को छोडकर भू.स. डी-580-ई के आंशिक भाग पर एक कमरा (जी+1) का निर्माण किया हुआ है एवं शेष भूखण्ड की प्लीन्थ लेवल तक चिनाई कर रखी है एवं शेष भाग रिक्त है तथा सडक सीमा में निर्माण नहीं है। भूखण्ड संख्या डी-580-ई के जारी साइट प्लान दिनांक 04.06.2018 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार आवासीय भवन निर्माण किया जा सकेगा। साइट प्लान की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(5) उक्त रोड की स्वीकृत नक्शे में चौड़ाई 40 फीट अनुमोदित है एवं वर्तमान में मौके पर भी सड़क चौडाई 40 फीट है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूखण्ड संख्या डी-580-ई के सामने रोड पर अतिक्रमण नहीं है।

(6) माह सितम्बर के पश्चात आगामी माह के नियमन शिविरों का कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाने पर जगदम्बा नगर-बी का गुणावगुण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर नगर में स्वरूप सागर, फतहसागर ओ.टी.एस. योजना में अतिक्रमण

34. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में स्वरूप सागर, फतहसागर, ओ.टी.एस. योजना में पूर्व यू.आई.टी. एक्ट, 1959 की धारा 92ए के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 2/2001 दर्ज किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में स्पष्ट पाया गया है कि अतिक्रमण कर्ता द्वारा उसके स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 02 के समीप नगर विकास न्यास, उदयपुर की योजना के भूखण्ड संख्या 755 के पार्ट क्षेत्रफल 2166 वर्गफीट पर, भूखण्ड संख्या 746 के पार्ट 1993 वर्गफीट पर भूखण्ड संख्या 747 के पार्ट 1310 वर्गफीट पर व भूखण्ड संख्या 748 के पार्ट 884 वर्गफीट पर अतिक्रमण कर रखा है और इसी प्रकार उक्त भूखण्डों के पश्चिम दिशा में स्थित 30 फीट चौड़ी सड़क पर भी अतिक्रमण कर्ता द्वारा अतिक्रमण कर रखा है?

(3) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमण कर्ता के उसके स्वामित्व के भूखण्ड क्षेत्रफल 20284 वर्गफीट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु दिनांक 16 अक्टूबर, 1978 को नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा स्वीकृति दी गई थी, लेकिन स्वीकृत मानचित्र के अलावा भी अतिकर्मी द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर रखा है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अवैध अतिक्रमण हटा दिये गये थे, किन्तु अतिकर्मी ने पुन: अतिक्रमण कर लिया? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में सरकार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकरण में न्यास द्वारा इस क्षेत्र की भूमि को नगर निगम, उदयपुर को हस्तान्तरित करने से पूर्व यू.आई.टी. एक्ट, 1959 की धारा 92-ए के तहत 02/2001 नहीं होकर प्रकरण संख्या 04/2001 दर्ज किया गया था।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि इस योजना में अतिक्रमणकर्ता द्वारा उसके स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 02 के समीप नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की योजना के भूखण्ड संख्या 755 के पार्ट क्षेत्रफल 2166 वर्ग फीट पर भूखण्ड संख्या 746 के पार्ट 1993 वर्ग फीट पर भूखण्ड संख्या 747 के पार्ट 1310 वर्ग फीट पर व भूखण्ड संख्या 748 के पार्ट 884 वर्ग फीट पर अतिक्रमण कर रखा है और इसी प्रकार इन भूखण्डों के पश्चिम दिशा में स्थित 30 फीट चौड़ी सड़क पर भी अतिक्रमणकर्ता द्वारा अतिक्रमण कर रखा है।

(3) जी हां। यह सही है कि अतिक्रमणकर्ता के उसके स्वामित्व के भूखण्ड क्षेत्रफल 20284 वर्ग फीट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु दिनांक 16.10.1978 को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा स्वीकृति दी गई थी लेकिन स्वीकृत मानचित्र के अलावा भी अतिक्रमी द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर रखा है।

(4) जी हां। यह सही है कि न्यास द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में निर्णय उपरान्त वर्ष 2001 में अतिक्रमण हटा दिया था। न्यास द्वारा वर्ष 2001 में हटाये गये क्षेत्र पर पुन: अतिक्रमण कर लिया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में श्री कर्णावट द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 13521/2015 दायर की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2015 को स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जो वर्तमान में प्रभावी है। श्री इन्द्रजीत कर्णावट द्वारा सिविल वाद संख्या 13/2013 ई.दी. नगर विकास प्रन्यास एवं नगर निगम उदयपुर के विरुद्ध सिविल न्यायधीश शहर उत्तर उदयपुर में दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है।

नागौर नगर परिषद् द्वारा भूमि का अवैध नियमन

35. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर नगर परिषद के पार्षदों द्वारा वर्ष 2016 में एक कथित भू-माफिया व उसके निजी रिश्तेदारों को भ्रष्ट तरीके से किये गये नियमन आदि प्रकरणों के संबंध में जिला कलक्टर, नागौर को 60 से अधिक दी गई पत्रावलियों में अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर द्वारा जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त पत्रावलियों की जांच 13 नवम्बर, 2017 को राजस्व विभाग के आदेशों से संभागीय आयुक्त अजमेर को दी गई है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त जांचों की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पत्रावलियों की जांचों के संबंध में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा नगर परिषद नागौर, स्वायत्त शासन विभाग व अन्य विभागों से किये गये पत्राचार की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पत्रावलियों के संबंध में जांच पूर्ण होकर रिपोर्ट जिला कलक्टर, नागौर अथवा नगर परिषद नागौर को प्राप्त हो चुकी है? यदि हॉ, तो जांच रिपोर्ट में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा अवैधानिक रूप से नियमन करवाई गई जमीन को पुन: सरकार के खाते में लेने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावलियों में वर्णित अधिकतर जमीन, भू-खण्ड आदि अब्दुल रहमान प्रकरण जनहित याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की अवमानना करके नियमन व पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पत्र दिनांक 10.03.2017 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2017 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 13.11.2017 द्वारा संभागीय आयुक्त अजमेर को जिले से बाहर के अधिकारियों को शिकायत की जांच करवाने हेतु पत्र लिखा गया। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।

(3) जिला कलक्टर, नागौर द्वारा आयुक्त नगर परिषद, नागौर एवं स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 27.03.2017 की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर द्वारा

(स्वायत्त शासन मंत्री)

संभागीय आयुक्त अजमेर को प्रेषित पत्र दिनांक 13.11.2017 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(4) संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर द्वारा संभागीय आयुक्त अजमेर को प्रेषित पत्र दिनांक 13.11.2017 में उक्त शिकायत की जांच हेतु जिले के बाहर के अधिकारी को नियुक्त करने एवं उक्त आदेश व जांच रिपोर्ट आने तक पूर्व में की गई जांच पर कार्यवाही विचाराधीन रखने हेतु उल्लेखित किया गया है। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।

(5) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के मन्दिर श्री गोपाल जी का केस कम्पाउण्ड प्रकरण

36. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मकान नं. 83-92, झालाणियों का रास्ता, चौकड़ी तोपखाना देश में मन्दिर श्री गोपालजी के नाम से स्थित है? यदि हां, तो उक्त मकान की पत्रावली मय नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर/भवन के चौक में निर्मित निर्माण की केस कम्पाउण्ड की पत्रावली हवामहल जोन (पश्चिम), नगर निगम जयपुर में प्राप्त हुई थी यदि हां, तो उक्त पत्रावली की प्रतियां मय कम्पाउण्ड नक्शा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मकान नम्बर 83-92 झालाणियों का रास्ता, चौकड़ी तोपखाना देश में मन्दिर श्री गोपालजी के नाम से स्थित है। उक्त भवन के एक भाग में मकान नम्बर 83-84 की भवन निर्माण स्वीकृति की पत्रावली प्राप्त हुई थी। जिसका नक्शेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 37

(स्थगित)

आई.टी.आई. सांगानेर (जयपुर) के भवन के बकाया का भुगतान

38. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में आई.टी.आई. सांगानेर जिला जयुपर में प्रथम तल का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो किस ठेकेदार व किस कन्सलटेंट से व किस-किस दर पर? कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के ठेकेदार, कन्सलटेंट या अन्य का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो कितना-कितना व नहीं, तो किस-किस का कितना भुगतान वर्तमान में किन कारणों से शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के बिलों में विभाग द्वारा नियमानुसार टैक्स की कटौती की गई है? यदि हां, तो किस-किस टेक्स की व कितनी-कितनी राशि एवं क्या उक्त टैक्स को संबंधित विभाग में जमा करा दिया गया है? यदि हां, तो कब? और यदि नहीं, तो अब तक टैक्स जमा नहीं कराने के क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? रिटर्न एवं चालान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य की कुल लागत में बढ़ोतरी की सूचना समय-समय पर कन्सलटेंट द्वारा विभाग को दी गई है? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस मद की कितनी-कितनी राशि की तथा विभाग द्वारा सूचना पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि कन्सलटेंट द्वारा लागत बढ़ोतरी की सूचना समय-समय पर दिये जाने के उपरान्त भी कन्सलटेंट को कुल लागत में बढ़ोतरी का जिम्मेदार मानते हुए उसका भुगतान रोका गया है? यदि हां, तो क्यों व किस अधिकारी द्वारा किस आदेश के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार अब कन्सलटेंट के बकाया भुगतान को कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री भजल लाल जाटव)

(8) क्या सरकार भुगतान में देरी के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्थान में गठित संस्थान प्रबन्धन समिति, सांगानेर जिला जयपुर द्वारा संस्थान में प्रथम तल का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य वर्ष 2016-17 में करवाया गया है।

1. ठेकेदार-मैसर्स अमित कुमार जैन, जयपुर !
   निर्माण कार्य लागत 95.00 लाख कार्य आदेश 6.98 लाख प्रतिशत जी शेड्यूल के अनुसार
2. कन्सलटेंट-एलीगेन्ट डिजाइन कन्सलटेंट जयपुर। 6 प्रतिशत लागत मूल्य पर कार्यादेश की प्रति संलग्न।

(2) जी हां। भवन निर्माण कार्य माह अक्टूबर 2016 में पूर्ण किया जा चुका है।

(3) जी हां। ठेकेदार का पूर्ण भुगतान जुलाई 2017 में किया जा चुका है। कन्सलटेंट द्वारा निर्माण कार्य के दौरान निर्माण लागत का आंकलन एवं सुपरविजन की जिम्मेवारी सही ढंग से निर्वाह नहीं किये जाने के कारण एवं वास्तविक लागत का आंकलन एक साथ कार्य प्रारम्भ में नहीं दिया गया जिससे भवन निर्माण की लागत बढ़ गई कन्सलटेंट द्वारा कार्यों का निर्वाहन सही नहीं किया गया, जिसके लिए वह जिम्मेवार है। अभी तक कन्सलटेंट द्वारा किये गये कन्सल्टेन्सी कार्य का भुगतान रु. 06.00 लाख किया जा चुका है। राशि रु. 4.58 लाख भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। संस्थान द्वारा नियमानुसार टैक्स की कटौती की गई है एवं समय-समय पर संबंधित विभाग में जमा करवा दी गयी है।

बिल की राशि	**आयकर कटौती**	**कटौती दिनांक**	**जमा दिनांक**
129960	11400	14.12.15	14.12.15
188374	16524	27.01.16	27.01.16
96180	8400	08.03.16	08.03.16
24450	21000	23.03.16	23.03.16
75693	6582	21.03.16	07.10.16

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

बिल की राशि	**आयकर कटौती**	**वैट कटौती**	**लेबर सैंस**	**कटौती दिनांक**	**जमा दिनांक**
2754790	27548	55096	27548	07.01.16	27.01.16
1399898	13999	27998	13999	05.03.16	08.03.16
3500838	35008	70017	35008	22.03.16	23.03.16
1052261	10523	21045	10523	17.06.16	21.06.16
834248	8342	16685	8342	21.06.16	23.06.16
3076640	30766	61533	30766	21.09.16	07.10.16
1109830	11098	22197	11098	01.08.16	05.08.16
3541075	35411	70822	35411	19.07.17	20.07.17

(5) जी हां। कन्सलटेंट द्वारा समय-समय पर कुल लागत में बढ़ोतरी की सूचना संस्थान को दी गई है, जिसे संस्थान द्वारा समय-समय पर आई.एम.सी. की बैठकों में अनुमोदन किया गया है। वास्तविक लागत का आंकलन एक साथ कार्य प्रारम्भ में नहीं दिया गया जिससे भवन निर्माण की लागत बढ़ गई। कार्य की कुल लागत की बढोतरी की सूचना अलग-अलग समय पर दी गयी है।

(6) जी नहीं। राजकीय नियमानुसार किसी भी कार्य की लागत राशि वास्तविक आंकलन एक या दो बार हो सकता है, परन्तु कन्सलटेंट द्वारा बार-बार लागत राशि संशोधित की गई जिससे लागत मूल्य बढ़ गया जो नियम विरुद्ध है, कन्सलटेंट द्वारा ग्राउन्ड फलोर के कमजोर होने संबंधी टेस्टिंग रिपोर्ट,जिसके कारण प्रथम तल के निर्माण हेतु पीलर बनाने पडे एवं लागत में वृद्धि हुई, भी उपलब्ध नहीं कराई गई। अत: कन्सलटेंट का शेष भुगतान संस्थान की संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा रोक दिया गया। अभी तक कन्सलटेंट को किये गये कार्यों का भुगतान रु. 06.00 लाख किया जा चुका है। शेष भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(7) शेष भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(8) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के निर्धारित मानदण्ड

39. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाय.) के बारे में किस एजेंसी/संस्था को कार्य से जोड़ने के लिये क्या-क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं? मानदंडों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत एजेंसी/संस्था से आये हुए प्रपोजल को किस तरह प्रोजेक्ट दिया जाता है, इसकी प्रकिया क्या है एवं इस कार्य को करने के लिए किन रिसोर्सेज की सेवाएं ली जाती हैं? मय नाम, पद एवं निगम के आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत candidates के लिए eligibility criteria क्या-क्या है? PIP के तहत eligibility के क्या मानदण्ड हैं एवं PIP कौनसे candidates होते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के तहत किसी भी चयनित एजेंसी/संस्था को स्वीकृत फंड उपलब्ध करवाये जाने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना के तहत विगत 5 वर्षों के दौरान अब तक कुल कितनी एजेंसी/संस्था के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? वर्षवार स्वीकृत प्रोजेक्ट का नाम, संस्था का नाम व पता मय मोबाइल, स्वीकृत राशि तथा कार्यरत संस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अवधि के दौरान अब कितनी एजेंसी/संस्था के प्रोजेक्ट किन-किन कारणों से बंद व निरस्त किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की न्यूनतम योग्यताः

1. संस्था इंडियन ट्रस्ट एक्ट अथवा स्टेट सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी अथवा मल्टीस्टेट कोआपरेटिव एक्ट अथवा कम्पनी एक्ट 2013 अथवा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

2. संस्था राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्था हो।
3. संस्था आवेदन के समय न्यूनतम 3 वर्ष पुरानी हो।
4. पिछले 3 वर्षों में से 2 वर्षों में ऋणात्मक शुद्ध सम्पत्ति/दायित्व नहीं हो।
5. प्रदाता का टर्न ओवर प्रस्तावित परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत हो।
6. जहां राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की अंश (इक्विटी) के रूप में संस्था में सहभागिता अथवा निगम ने ऋण दिया हो उस संस्था के लिये न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा ऋणात्मक शुद्ध सम्पत्ति/दायित्व की बाध्यता नहीं होगी।
7. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाएं जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में स्थायी पंजीकृत हैं, वे कनसोरटियम के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
8. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाएं फ्रेन्चाइजी/आउटसोरसिंग व्यवस्था के तहत भी कार्य कर सकती है।

मार्ग दर्शिका में मानदण्ड संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया:-

संस्थाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) में भागीदारी करने के लिए सर्वप्रथम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत स रकार की वेबसाइट से PNR (स्थायी पंजीकरण संख्या) लेना होता है। तदूपरान्तः

1. राजस्थान में RSLDC द्वारा समय-समय पर संस्थाओं को भागीदार बनाने के लिए "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) जारी की जाती है।
2. संस्थाएं जिन्होंने PNR ले रखा है, EOI की शर्तों के अनुसार MoRD की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है।
3. राजस्थान से संबधित आवेदन RSLDC (निगम) द्वारा डाउनलोड किये जाते हैं।
4. इन आवेदनों की निगम की टीम द्वारा संवीक्षा की जाती है, संवीक्षा के नियम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन संख्या 20/2017 द्वारा तय किये गये हैं।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

5. सही पाये गये आवेदनों का मूल्यांकन नामित समिति द्वारा किया जाता है।
6. योग्य संस्थाओं को बुलाकर पावर पाइन्ट प्रजन्टेशन के जरिये उनकी गुणवत्ता एवं व्यावहारिक योग्यता की जांच की जाती है।
7. राज्य परियोजना अनुमोदन समिति/निदेशक मण्डल द्वारा चयनित संस्था का अनुमोदन किया जाता है।
8. चयनित संस्थाओं के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) कर कार्य आदेश जारी किये जाते है।

(3) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य (DDU-GKY) लाभार्थियों की निम्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं-

1. 15 से 35 वर्ष के वह निर्धन ग्रामीण युवा जोः

i चयनित बी.पी.एल. सूची 2002 अथवा पूरक बी.पी.एल. सूची 2006, 2008, 2010 और 2012 में सम्मिलित है अथवा परिवार सामाजिक आर्थिक गणना 2011 (प्रकाशन उपरान्त) की सूची में सम्मिलित हो अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार का सदस्य हो, अथवा अन्त्योदय अन्न योजना/बीपीएल सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत चयनित परिवार का सदस्य हो, अथवा आजीविका (एनआरएलएम) के अन्तर्गत गठित स्बयं सहायता समूह के परिवार का सदस्य।

ii परिवार के किसी भी सदस्य ने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन मनरेगा में काम किया हो।

iii ''सहभागिता आधारित गरीब की पहचान'' (पी.आई.पी)प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम सभा से अनुमोदित हो।

2. महिलाओं, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेन्डर तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे पुनर्वासित बंधक मजदूर, मानव तस्करी के शिकार, हाथ से मैला ढोने वाले त था एच.आई.वी. पोजीटिव इत्यादि के लिए आयु की ऊपरी सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।

PIP candidates:

डीडीयू-जीकेवाय की निर्देशिका के अनुसार ग्राम पंचायत समाज के किसी भी वर्ग के उपेक्षित अथवा अभावग्रस्त व सामर्थ्यहीन व्यक्तियों और

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

महिलाओं को विशेष ग्राम सभाओं में चिन्हित किया जाता है तथा उन लोगों को डीडीयू-जीकेवाय में भागीदारी के योग्य माना जाता है।

(4) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य (DDU-GKY) में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को स्वीकृत फंड उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

i कुल परियोजना लागत की 10 प्रतिशत (जनवरी 2017 से पहले 6.25 प्रतिशत थी) की बैंक गारण्टी निगम को जमा कराने के उपरान्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। तदुपरान्त प्रथम किश्त जो कि परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि है, को अग्रिम के रूप में जारी किया जाता है।

ii आबंटित भौतिक लक्ष्यों में से 10 प्रतिशत प्रशिक्षण (उपश्रेणीवार) और 7 प्रतिशत नियोजन व प्रथम किस्त में आबंटित राशि का 60 प्रतिशत खर्च करने के बाद दूसरी किश्त जो कि परियोजना लागत का 50 प्रतिशत है, को अग्रिम के रूप में जारी किया जाता है।

iii आबंटित भौतिक लक्ष्यों में से 90 प्रतिशत प्रशिक्षण (उपश्रेणीवार) और 65.5 प्रतिशत नियोजन तथा आबंटित राशि का 90 प्रतिशत खर्च करने के बाद तीसरी किश्त जो कि परियोजना लागत का 15 प्रतिशत है, को अग्रिम के रूप में जारी किया जाता है।

Iv परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, संस्था द्वारा दिये गये सम्पूर्ण दस्तावेजों के प्रमाणीकरण/सत्यापन करने के पश्चात वास्तविक व्यय या स्वीकृत परियोजना लागत शेष 10 प्रतिशत राशि सहित, दोनों में से जो कम हो, को अन्तिम भुगतान हेतु स्वीकृत किया जाता है।

(5) राज्य परियोजना अनुमोदन समिति/निदेशक मडण्ल द्वारा चयनित संस्था का अनुमोदन किया जाता है।

चयनित संस्थाओं के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू) कर कार्य आदेश जारी किये जाते हैं।

उपरोक्त संस्थाएं जिनके साथ समझौता-ज्ञापन किया गया है का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(6) जिन ऐजेन्सियों के प्रोजेक्ट बन्द या निरस्त किये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत संचालित योजनाएं

40. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? उक्त योजना में प्रति वर्ष कितना लक्ष्य तय किया गया तथा कितना लक्ष्य पूरा किया गया? गत 5 वर्षों के दौरान वर्षवार स्वीकृत लक्ष्य, स्वीकृत राशि व प्राप्त लक्ष्य एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में तथा अब तक कुल कितनी एजेंसी/संस्था के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? वर्षवार स्वीकृत प्रोजेक्ट का नाम, संस्था का नाम व पता, स्वीकृत राशि तथा कार्यरत संस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 5 वर्षों में तथा अब तक कितने एजेंसी/संस्था को स्वीकृत राशि में से 1st, 2nd & 3rd installment दी जा चुकी है? वर्षवार संस्था का नाम व पता, संस्था को स्वीकृत राशि, वितरित की गई राशि तथा कार्यरत संस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) किसी भी एजेंसी/संस्था को 2nd, 3rd, 4th installment देने की क्या प्रक्रिया है? एजेंसी/संस्था से क्या-क्या दस्तावेज मांगे जाते हैं तथा कौन-कौन से दस्तावेज निगम द्वारा संबंधित एजेंसी/संस्था को दिये जाते हैं एवं प्रक्रिया कितने समय में पूर्ण कर दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निम्न चार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय सहयोग
1	रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)	राज्य पोषित
2	नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)	राज्य पोषित
3	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	केन्द्र व राज्य पोषित
4	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 2.0- Central sponsored State managed)	केन्द्र पोषित

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन कर उनकी संभावित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृति आदेश देते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जाती है, किसी प्रकार की कोई राशि स्वीकृत नहीं की जाती है, संस्था द्वारा प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर भुगतान किया जाता है। DDU-GKY के अंतर्गत भी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते अपितु सम्पूर्ण परियोजना अवधि हेतु लक्ष्य निर्धारित होते हैं तथा वर्ष 2014-15 में एक लाख पन्द्रह हजार आठ गरीब ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करने का लक्ष्य प्रदान किया गया। PMKVY-2.0 (CSSM) योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ हुई जिसके अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य नहीं देकर दो वर्षों हेतु 19358 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रदान किया गया।

विगत 5 वर्षों में वर्षवार व योजनावार प्राप्त लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	ELSTP	RSTP	DDU-GKY	PMKVY	कुल
1	2014-15	33171	0	2779	0	35950
2	2015-16	33361	4860	24760	0	62981
3	2016-17	60779	9802	4829	0	75410
4	2017-18	33995	4590	4125	0	42710
5	2018-19	21953	2915	4035	1146	30049
कुल		**183259**	**22167**	**40528**	**1146**	**247100**

विगत 5 वर्षों में वर्षवार व योजनावार प्राप्त लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	ELSTP (रूपयों में)	RSTP (रुपयों में)	DDU-GKY (रुपयों में)	PMKVY (रुपयों में)
1	2014-15	145136285	0	444078165	0
2	2015-16	290923425	10794224	33538412	0
3	2016-17	510401223	42836858	223234432	0
4	2017-18	424244764	40951315	366345105	0
5	2018-19	225382205	18237539	1425651411	0
कुल		**1596087902**	**112819936**	**2492847525**	**0**

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) गत 5 वर्षों में योजनावार कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ करने वाली प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है

	ELSTP	RSTP	DDU-GKY	PMKVY
प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की कुल संख्या	229	138	90	47

वर्षवार व योजनावार प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के नाम व पता युक्त सूची परिशिष्ट-अ(1), (2), (3), (4) पर उपलब्ध है। वर्षवार सूची में किसी प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा एक से अधिक वर्षों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर उस संस्था का नाम उन सभी वर्षों में सम्मिलित किया गया है।

(3) गत 5 वर्षों में योजनावार 1st/2nd/3rd installment प्राप्त कर चुके प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है

	ELSTP	RSTP	DDU-GKY	PMKVY
प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की कुल संख्या	229	90	90	0

गत 5 वर्षों में योजनावार 1st/2nd/3rd installment प्राप्त कर चुके प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की वर्षवार सूची परिशिष्ट-ब(1), (2), (3), (4) पर उपलब्ध है।

(4) निगम द्वारा संचालित किसी भी कौशल प्रशिक्षण योजना में 4th installment दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। 2nd, 3rd, 4th installment देने की प्रक्रिया, अनिवार्य दस्तावेज तथा समयावधि का वर्णन संबंधित योजना की मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से किया गया है तथा परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में पर्यटन स्थलों का विकास

41. श्री हीरालाल (निवाई): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीरालाल)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में अनेक पर्यटन स्थल आकर्षण के केन्द्र हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में स्थित देवधाम क्षेत्र में स्थित जोधपुरिया एवं निवाई पहाड़ पर स्थित प्राचीन किले को विकसित करने हेतु कार्य योजना बनाकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र निवाई में रक्तांचल पर्वत स्थित प्राचीन किला एवं पीर का स्थान, नाथ सम्प्रदाय का जालन्नाथ मंदिर, ब्रहाम्णी माता मंदिर तथा जोधपुरिया देवनारायण मंदिर आदि पर्यटन स्थल स्थित हैं।

पर्यटन विभाग में विधान सभा क्षेत्र निवाई स्थित देवधाम क्षेत्र में स्थित जोधपुरिया एवं निवाई पहाड़ पर स्थित प्राचीन किले को विकसित करने हेतु वर्तमान में कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन विभाग में उपलब्ध बजट संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर पर्यटन विकास कार्य कराये जाते हैं।

उदयपुर के नोबल इन्टरनेशनल स्कूल में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश

42. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में रानी रोड पर एकलिंग जी एजुकेशनल सोसायटी द्वारा नोबल इन्टरनेशनल स्कूल का संचालन किया जाता है? यदि हां, तो क्या राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा नियम, 1993) के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों के एक निश्चित प्रतिशत तक प्रवेश देने को भी निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में उक्त वर्गों के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया? कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को राजकीय नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? यदि हां, तो शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में कितने छात्रों हेतु छात्रवृत्ति

(डा. मंजू बाघमार)

स्वीकार की गई और कब-कब, किस-किस छात्र को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया? छात्रवार, कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आर.टी.ई. के तहत 25 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस प्रावधान के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के नि:शुल्क प्रवेशित छात्र-छात्राओं का कक्षावार नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एकलिंग जी एजुकेशनल सोसायटी द्वारा नोबल इन्टरनेशनल स्कूल का संचालन किया जा रहा है।

जी नहीं। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा नियम, 1993) के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों के एक निश्चित प्रतिशत तक प्रवेश देने संबंधी कोई भी नियम विभाग स्तर से जारी नहीं किये हैं। शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में कक्षावार प्रवेशित छात्रों का संवर्गवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभागीय प्रचलित नियमानुसार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में उक्त संस्थान द्वारा छात्रों हेतु छात्रवृत्ति का कोई भी प्रस्ताव विभाग को नहीं भिजवाया गया था। अत: विभाग स्तर से उक्त अवधि में किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) जी हां। आर.टी.ई. के तहत 25 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के नि:शुल्क प्रवेशित छात्र-छात्राओं का कक्षावार, नामवार, संवर्गवार मय पता परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अध्यापन के नियम

43. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. राजकुमार शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लाक शिक्षा अधिकारी व प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी की प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका से उपस्थिति की सूचना वाट्सएप (Whatsapp) के माध्यम से फोटो खींचकर मुख्यालय में मंगवाई जा सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि परीवीक्षाकाल के दौरान किसी अध्यापक को अतिरिक्त चार्ज भी दिया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-द्वितीय को किन-किन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पढाने का नियम है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में प्रदेश के विद्यालयों में अनेकों तृतीय श्रेणी लेवल-द्वितीय से कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य लिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार उक्त अध्यापकों को कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को ही पढ़ाने के नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि विद्यालयों में तृतीय श्रेणी लेवल-द्वितीय के जो अध्यापक अपने विषय से नियुक्त होकर आते हैं, उन अध्यापकों को स्वयं के विषय के अतिरिक्त और भी विषय पढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त भार दिया जा सकता है? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग अन्तर्गत किसी भी विद्यालय/कार्यालय में अधीनस्थ कार्मिकों की विद्यालय/कार्यालय में समय पर पहुंच एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपस्थिति की सूचना वर्तमान समय के अनुरूप किसी भी माध्यम से मंगवाई जा सकती है, यद्यपि इस आशय का राजस्थान सेवा नियमों में इस प्रकार कोई नियम नहीं है, तथापि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पर प्रभावी नियन्त्रण की एक तकनीक के रूप में किया जाता रहा है।

(2) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.22(6)शिक्षा-1/2002 जयपुर

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

दिनांक 30.04.2015 के बिन्दु संख्या 3.6 में स्पष्ट निर्देश है कि शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप में आवश्यकतानुसार आबंटित किये जाएंगे। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.22(6)शिक्षा-1/2002 जयपुर दिनांक 30.04.2015 के बिन्दु संख्या 3.4 में स्पष्ट निर्देश है कि अध्यापक लेवल-द्वितीय के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अध्यापक लेवल-द्वितीय द्वारा कक्षा 6 से 8 का शिक्षण कार्य सम्पन्न करवाये जाने के बाद कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1 से 5 का शिक्षण कार्य भी करवाया जा सकता है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 3 के अनुसार।

(5) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 2 एवं 3 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में शिक्षकों को सम्मानित करने के नियमों का सरलीकरण

44. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित कराने के क्या नियम हैं? गत चार वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के कितने शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमों में जटिलता के कारण गत चार वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के 104 में से 24 शिक्षक ही सम्मानित हुये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों का सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित करने संबंधी नियम परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

गत चार वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा से सम्मानित होने वाले शिक्षकों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

क्र.सं.	**वर्ष**	**सम्मानित शिक्षकों की संख्या**
1	2014	6
2	2015	8
3	2016	3
4	2017	7
	योग	**24**

(2) जी नहीं। नियमों में सरलीकरण संबंधी निर्णय नीतिगत है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की स्थापना

45. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लाक में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय संचालित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में ऐसे कितने ब्लाक हैं जिसमें विद्यालय संचालित हैं तथा कितने ऐसे ब्लाक हैं जिसमें विद्यालय संचालित नहीं हैं? सरकार द्वारा उक्त ब्लाकों में विद्यालय खोलने हेतु क्या प्रावधान किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले गये हैं। बाड़मेर जिले में कुल 17 ब्लाक हैं। वर्तमान में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 6 ब्लाकों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। 11 ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है।

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 2018-19 में राज्य के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय विहीन ब्लाक में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु वे प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

जोधपुर शहर के हार्टलाइन महामंदिर से आखलिया चौराहे तक एलिवेटेड प्लाईओवर ब्रिज का निर्माण

महोदय

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर का हृदय स्थल पावटा को माना गया है यहां पर नागौर, बीकानेर एवं जयपुर अजमेर से आने वाले वाहन के साथ शहर की आधी आबादी उत्तर की ओर रहते हैं इसी के साथ एनएलयू, आईआईटी, एनआईएफटी, आयुर्वेद, पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर, बीएसएफ, सब्जी मण्डी व पावटा स्थित है बस स्टैण्ड इत्यादि है। ऐसी स्थिति में पावटा पर ट्रेफिक का बहुत जमावड़ा रहता है। यहां से शहर की तरफ जाने वाले वाहन सोजती गेट जालोरी गेट, पांचवी रोड से गुजरते हैं इन रोडों की चौडाई कम होने एवं बीच-बीच में रेड लाईट होने से ट्रैफिक इतना व्यवस्थतम हो जाता है कि आम आदमी को निकलने में कामी परेशानियां के साथ दुर्घटना का भी भय व्याप्त रहात है। आये दिन पावटा से आखलिया चौराहे के बीच में दुर्घटनाओं का आंकड़ों में वृद्धि हुई है। किसी जुलूस या धार्मिक रैली या त्यौहार के दौरान स्थिति इतनी विकट हो जाती है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यातायात पुलिस प्रशासन को यातायात डाईवर्ट करने पर मजूबर होना पड़ता है। जिस कारण आम व्यक्ति को लम्बी दूरी यात्रा मजबूरन में करने पर बाध्य होना पड़ता है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं जसिया ने भी सर्व कर विश्लेषण किया है उनके एक्सपर्ट ने भी माना है कि हाई लाईन जालोरी गेट से पावटा तक के रूट पर सबसे ज्यादा दिक्कत है यदि पावटा चौराहे से आखलिया चौराहे तक एलिवेटेड प्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाता है तो 80 प्रतिशत तक शहरी यातायात दबाव में कमी आयेगी एवं आमजन का ईंधन एवं समय की बचत के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा।

स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी इस समस्या को जोर-शोर से उठाया गया है। क्योंकि जोधपुर की आज की तारीख में सबसे बड़ी मुख्य

समस्या बिगड़ी यातायात व्यवस्था है जिसकी वजह है वह केवल एक हार्ट लाइन को सम्पूर्ण जोधपुर को छोटी-छोटी रोडों से जोड़ती है।

अत: मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के नगरीय विकास मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। जोधपुर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पावटा चौराहे से आखलिया चौराहे तक एलिवेटड प्लाई ओवर ब्रिज जिस प्रकार जयपुर में अजमेर रोड से अजमेरी पुलिया तक फोर लाइन एलिवेटेड पुल का निर्माण किया गया है, उसी की भांति यहां पर भी इसकी बहुत आवश्यकता है।

कैलाश भंसाली

(जोधपुर)

जमवारामगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त/टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत करने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बरसात की वजह से वर्तमान में अधिकांश सड़कें जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं जिसके कारण क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन वर्तमान में निम्नांकित सड़कें क्षतिग्रस्त/जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं:-

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त सड़क का नाम	कुल लम्बाई
1.	जमवारामगढ़ अन्नपूर्णा होटल से जमवारामगढ़ बांध तक	2 किमी
2.	जमवारामगढ़ बांध से नकची घाटी तक	3 किमी
3.	थौलाई सादाली हनुमान मंदिर से आंधी नेशनल हाईवे तक	6 किमी

यहां यह उल्लेखनीय है कि जमवारामगढ़ बांध से नकची घाटी तक की सड़क का निर्माण पिछले साल ही किया गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के कारण उक्त सड़क पूरी तरह टूट गई है। जिसकी शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा की गई थी तथा मेरे द्वारा भी विधान सभा में मामला उठाया गया था। तत्पश्चात् उक्त ठेकेदार को डिबार तो

कर दिया गया लेकिन सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। इसी प्रकार से थौलाई सादाली हनुमान मंदिर से उप तहसील आंधी नेशनल हाईवे तक की सड़क पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण हो गई है जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं होने की संभावना है। उक्त सड़क करीब 15-20 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जन हित के मुद्दे पर मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उपरोक्त सड़कों की मरम्मत शीघ्र करवाये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश प्रदान करें ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके।

धन्यवाद।

जगदीश नारायण

(जमवारामगढ़)

अरांई (अजमेर) तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

माननीय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षण कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई कस्बे में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय होने के साथ-साथ अधिकांशतः सभी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय संचालित हैं। इस क्षेत्र की पृष्ठ भूमि में 55 राजस्व ग्रामों की लगभग 70 हजार जनसंख्या जुड़ी हुई है। यदि तहसील मुख्यालय अरांई पर नवीन उपखण्ड कार्यालय की स्थापना कर दी जाये तो यह दूरी 15 से 35 कि.मी. तक ही रह जायेगी और क्षेत्रवासियों को एवं गरीब ग्रामीणों के उपखण्ड स्तरीय कार्य सुगमता एवं सहजता से निपटाये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत है।

1. अरांई परिक्षेत्र के किसानों एवं ग्रामीणों को कृषि भूमि संबंधी एवं विभिन्न राजस्व संबंधी सभी कार्य बने रहते हैं एवं छोटे-मोटे कार्यों के लिये अधिकांश क्षेत्रवासियों को 32 से 65 कि.मी. तक का सफर कर उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ जाना पड़ता है। जिससें श्रम, समय एवं कार्य का भार आमजन पर पड़ता है।

2. तहसील अरांई परिक्षेत्र के काफी कोर्ट केसेज भी उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ पर निपटाये जाते हैं। साथ ही C.R.P.C. संबंधित कार्यों हेतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के समक्ष आना पड़ता है।

3. तहसील अरांई परिक्षेत्र काफी आंतरिक रूप में फैला हुआ ग्रामीण इलाका है जिसकी अकस्मात् कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ से प्रशासनिक सहायता प्राप्त होने में 1½ से 2 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है, जोकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुचित है।

4. तहसील मुख्यालय अरांई पर लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय संचालित हैं, उपखण्ड कार्यालय के अभाव में इन पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कार्य में समन्वय का अभाव रहता है वहीं दूसरी ओर समस्त विभागों में प्रभावी समन्वय की कमी के कारण क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सफल एंव प्रभावी कियान्वयन भी नहीं हो पाता है।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि तहसील मुख्यालय अरांई पर वर्तमान संसाधनों एवं अन्य उपखण्ड स्तरीय सुविधाओं की पर्याप्तता एंव बेहतर क्षेत्रिय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रवासियों की लम्बे समय से की जा रही उपखण्ड कार्यालय स्वीकृती की मांग पर सकारात्मक निर्णय कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)

कोटा शहर में स्मार्ट मीटरों की रीडिंग में अनियमितता

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कोटा शहर में विद्युत वितरण निगम का काम देख रही निजी कम्पनी केईडीएल की ओर से शहर के कई इलाकों में लगाये गये स्मार्ट मीटर ने उपभोक्ताओं की नींद उड़ा दी। स्मार्ट मीटर पर तेजी से बढ़ रही रीडिंग को देख कर वे चिंतित हैं। लोगों का मानना है कि पहले जो जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा मीटर लगे हुए थे उसकी तुलना में स्मार्ट मीटर बहुत ज्यादा रीडिंग दर्शा रहा है। जबकि बिजली का उपयोग जैसा है और लोगों का मानना है की रीडिंग डेढ़ से दोगुना तक बढ़ रहा है। जिन उपभोक्ताओं का बिल पिछले माह में कम आ था अब स्मार्ट मीटर लगाने के कारण उनके बिल की राशि में बढ़ोत्तरी हुई जिससे लोगों में रोष व्याप्त है तथा केईडीएल कम्पनी के कर्मचारी लोगों से जबरदस्ती घर में घुस कर बलपूर्वक व पुराने

मीटर में शॉर्ट कर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। कोटा शहर के विभिन्न क्षेत्र तलवंडी, जवाहरनगर, अन्नपुरा, इन्द्राविहार, महावीर नगर, दादाबाडी, केशवपुरा व अन्य इलाकों एवं नये उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगा दिये और कम्पनी द्वारा स्मार्ट मीटरों पर ओके टेस्टिंग की भी सील लगा दी। ये एक गंभीर जांच का विषय है।

अत: आप से सदन के माध्यम से निवेदन है कि वर्तमान में लगे स्मार्ट मीटर हटाये जाए और संबंधित निजी कम्पनीयों की भी जांच करायी और उपभोक्ताओं से कम्पनी द्वारा जो अवैध राशि वसूली की गई है उसे उपभोक्ताओं को तुरन्त दिलाया जाए और संबंधित कम्पनी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)